UPFR010027332018

S.s.t. (d.a.a.)/400055/2018

State Government Vs. nepal yadav and oth

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०), तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– शैलेन्द्र सचान––––––––––एच०जे०एस० I.J.O.Code–UP2406

1– विशेष सत्र परीक्षण सं०–55/2018

राज्य

बनाम

1– श्रीमती विमलेश यादव पत्नी नेपाली उर्फ प्रवेश यादव,

2– नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव पुत्र रामनरेश निवासीगण अताईपुर जदीद थाना कायमगंज जिला फर्रूखाबाद।

3– रवि उपाध्याय पुत्र अनिल उपाध्याय,

4– शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला पुत्र शिवदीन प्रकाश शुक्ला, निवासीगण रोशनाबाद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

अ०स०– 126/2018

धारा–396, 120B, 412 भा०द० सं०

थाना– कायमगंज ,

जिला फर्रूखाबाद।

UPFR010028602019

S.s.t. (d.a.a.)/400107/2019 State Government Vs. Lalu Yadav @ Ansu Yadav

2– विशेष सत्र परीक्षण सं०–107/2019

राज्य

प्रति

लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशू यादव पुत्र रामऔतार निवासी पिपरगांव थाना

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.06.17 17:18:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मोहम्मदाबाद फतेहगढ , जिला फर्रूखाबाद।

अ०स०– 126/2018

धारा– 396,120B,412 भा०द० सं०

थाना– कायमगंज,

जिला फर्रूखाबाद।

निर्णय

1– थाना कायमगंज की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव,नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव , रवि उपाध्याय,शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला के विरुद्ध धारा– 396,120B,412 भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये,प्रसंज्ञान लेने के पश्चात प्रकरण को विशेष सत्र परीक्षण सं० 55/2018, 107/2009 के रूप में दर्ज किया गया। तदुपरान्त अभियुक्तगण को नकले प्रदान की गयी तथा विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशू यादव के विरूद्व धारा 396,120B भा०द०स० के तहत आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया गया । किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश दिनांकित 28–06–2019 के माध्यम से अभियुक्त को वयस्क मानते हुए उसका किशोर घोषित किए जाने का प्रार्थना पत्र दिनांकित 14–03–2018 निरस्त करते हुए पत्रावली को विचारण हेतु इस न्यायालय को भेजा गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12–07–2019 को अभियुक्त के विरूद्व प्रसंज्ञान लेते हुए विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उपरोक्त दोनो विशेष सत्र परीक्षण एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण विचारण एक साथ किया गया तथा विशेष सत्र परीक्षण सं० 55/2018 की पत्रावली में साक्ष्य अंकित किया गया।

2– वादी मुकदमा डा० जितेन्द्र सोलंकी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी की सास श्रीमती साधना गौड निवासी कस्वा व थाना कायमगंज घर में अकेली रहती थी। दिनांक 11–02–2018 को उसकी पत्नी डा० प्रिया गौड के मोबाइल से बातचीत साधना गौड से शाम लगभग चार बजे हुयी थी। उसके बाद उसकी सास से कोई बात नही हुयी। फोन करने पर फोन स्विच आफ आ रहा था, जिनका मोबाइल नं० 7275182461 है। दिनांक 14–02–2018 को दोपहर में 02:48 पर मोतीलाल निवासी अताईपुर ने उसे सूचनादी कि आपके घर का गेट नही खुल रहा है तथा न ही कोई आवाज आ रही है। इस पर वह अपनी पत्नी प्रिया को साथ लेकर अपनी

सास के घर पाठक मो० कायमगंज पर आया तो देखा कि मकान का मेन दरवाजा खुला है तथा मकान के अन्दर जाने वाला दूसरा गेट अन्दर से बन्द था जिसको उसने व नन्हें, मुकेश निवासी अताईपुर, विमल व उसकी पत्नी तथा विवेक है व उसकी सास के किराएदार हे, के साथ मिलकर दरवाजे के अन्दर की कुंडी को खोला तथा मकान के अन्दर प्रवेश करके देखा तो किचन के बराबर वाले कमरे में उसकी सास का शव औधे मुंह पडा हुआ है जिसके हाथ पीठ की तरफ Cotton की रस्सी से तथा पैर भी बंधे है तथा अन्दर जाकर अन्य कमरों में देखा तो सारा सामान बिखरा पडा है। अलमारी खुली पडी है, ऐसा प्रतीत होता है कि बदमाशों ने उसकी सास को बांधकर डाल दिया हो एवं घर का सामान चोरी कर लिया हो। बांधने से उसकी सास का दम घोटा गया है तथा मुंह में पकडा ठूसकर उनको मारा गया हो। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि बदमाश 2–3 रहे होगे जिसमें 02 दस्तबन्द, 01Braslate, 03 गले की सोने की चैन, एक जोडी झुमकी, एक जोडी झाले, चार सोने के कडे, आठ सोने की अंगूठी, एक जोडी टाप्स, पैरो की पायल चांदी की, चार–पांच लाख रूपये नकद तथा कैश व बैंक से सम्बन्धित जरूरी कागजात गायब थे।

3– तहरीर के आधार पर प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में पंजीकृत की गयी। इस मुकदमें की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी तथा विवेचक ने घटना स्थल पर जाकर सम्बन्धित कागजात तैयार किए। विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया गया, गवाहों के बयान लिये गये । मृतका का शव विच्छेदन कराया गया, विमलेश, नेपाली यादव, रवि उपाध्याय, शिव उर्फ अनुपम शुक्ला के पा से लूटे गए जेबरात बरामद किए गए तथा समस्त विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव , रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला के विरुद्ध आरोप पत्र धारा– 396, 120B, 412 भा०द०सं० के अन्तर्गत न्यायालय प्रेषित किया गया।

4– अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव , रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला के विरुद्ध धारा 396, 120B, 412 भा०द० सं० के अन्तर्गत तथा अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशू यादव के विरूद्ध धारा 396, 120B भा०द०स० के तहत आरोप क्रमशः दिनांक 23–08–2018, 25–09–2019 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश द०प्र०क्षे०फर्रूखाबाद द्वारा विरचित किये गये। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से

इन्कार किया और विचारण की मांग की।

5– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी०डब्लू० 1 डा० जितेन्द्र सोलंकी, पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा , पी०डब्लू० 3 द्रविड कुमार सिंह निरीक्षक, पी०डब्लू० 4 एच०एम० निर्भाल सिंह, पी०डब्लू० 5 डा० योगेन्द्र सिंह रेडियोलाजिस्ट, पी०डब्लू० 6 उ०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी, पी०डब्लू० 7 अभिषेक अग्रवाल, पी०डब्लू० 8 जसवंत सिंह हाल तैनाती क्राइम ब्रांच कानपुर को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन की तरफ से परीक्षित नही कराया गया है।

6– अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्नवत है–

क्र० स०	**साक्षी**	**साक्षी का नाम**	**का०स०, प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श स०**
1	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	तहरीर का०स० 5A	प्रदर्श क 1
2	पी०डब्लू० 3	द्रविण कुमार सिंह निरीक्षक	फर्द बरागदी का०स० 6A/3	प्रदर्श क 2
3	पी०डब्लू० 3	द्रविण कुमार सिंह निरीक्षक	फर्द बरागदी का०स० 6A/1 लगायत 6A/2	प्रदर्श क 3
4	पी०डब्लू० 3	द्रविण कुमार सिंह निरीक्षक	नक्शानजरी बरागदी स्थल का०स० 7A/2	प्रदर्श क 4
5	पी०डब्लू० 4	HM निर्भाल सिंह	चिक रिपोर्ट का०स० 4A/1 लगायत 4A/3	प्रदर्श क 5
6	पी०डब्लू० 4	HM निर्भाल सिंह	कायमी जी०डी० का०स० 17A/1	प्रदर्श क 6
7	पी०डब्लू० 5	डा० योगेन्द्र सिंह	पोस्टमार्टम रिपोर्ट का०स० 8A	प्रदर्श क 7
8	पी०डब्लू० 6	से०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी	घटना स्थल का नक्शानजरी	प्रदर्श क 8
9	पी०डब्लू० 6	से०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी	पंचायतनाम का०स० 9A/1 लगायत	प्रदर्श क 9

			9A/3	
10	पी०डब्लू० 6	से०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी	चिटठी सी०एम०ओ० का०स० 10A	प्रदर्श क 10
11	पी०डब्लू० 6	से०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी	चालान लाश का०स० 11A	प्रदर्श क 11
12	पी०डब्लू० 6	से०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी	फोटो नाश का०स० 12A	प्रदर्श क 12
13	पी०डब्लू० 6	से०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी	खूनआलूदा कब्जा फर्द का०स० 13A	प्रदर्श क 13
14	पी०डब्लू० 8	जसबन्त सिंह	आरोप पत्र का०स० 3A/1 लगायत 3A/5	प्रदर्श क 14
15	पी०डब्लू० 8	जसबन्त सिंह	विशेष सत्र परीक्षण सं० 107/2019 में शामिल आरोप पत्र का०स० 16A/1 लगायत 16A/3	प्रदर्ष क 15

अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत वस्तु प्रदर्श निम्नवत है–

क्र० स०	**साक्षी**	**साक्षी का नाम**	**वस्तुका नाम**	**वस्तुप्रदर्श स०**
1	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	डब्बे पर	वस्तु प्रदर्श 1
2	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	दो सोने के कडों पर	वस्तु प्रदर्श 2 व 3
3	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	करधनी चांदी की पर	वस्तु प्रदर्श 4
4	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	सोने की चैन पर	वस्तु प्रदर्श 5
5	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	टेप पर	वस्तु प्रदर्श 6
6	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	बक्से पर	वस्तु प्रदर्श

				7
7	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	सोने की करधनी पर	वस्तु प्रदर्श 8
8	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	नोटो की गडडी पर	वस्तु प्रदर्श 9
9	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	मोबाइल पर	वस्तु प्रदर्श 10
10	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	डब्बे पर	वस्तु प्रदर्श 11
11	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	सोने की चूडियों पर	वस्तु प्रदर्श 12 लगायत 15
12	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	सोने की झुमकी पर	वस्तु प्रदर्श 16 व 17
13	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	गले की सोने की चैन पर	वस्तु प्रदर्श 18
14	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	शंख पर	वस्तु प्रदर्श 19
15	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	वाकमैन पर	वस्तु प्रदर्श 20
16	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	चार कैसटो पर	वस्तु प्रदर्श 21 लगायत 2 4
17	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	वोटर आई०कार्ड पर	वस्तु प्रदर्श 25
18	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	नोट की गडडी पर	वस्तु प्रदर्श 26

19	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	डब्बे पर	वस्तु प्रदर्श 27
20	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	गोल दाने वाली चेन पर	वस्तु प्रदर्श 28
21	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	दूसरी चेन पर	वस्तु प्रदर्श 29
22	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	मंगलसूत्र	वस्तु प्रदर्श 30
23	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	चांदी के गुच्छे पर	वस्तु प्रदर्श 31
24	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	फोन पर	वस्तु प्रदर्श 32
25	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	दस के नोटो की चार गडडियों पर	वस्तु प्रदर्श 33
26	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	बीस के नोटो की गडडी पर	वस्तु प्रदर्श 34
27	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	पांच सौ रूपये के दो नोटो पर	वस्तु प्रदर्श 35
28	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	दौ सौ रूपये के नोटो पर	वस्तु प्रदर्श 36
29	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	सोने के दानो पर	वस्तु प्रदर्श 37
30	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	18 चांदी के सिक्को पर	वस्तु प्रदर्श 38
31	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	सोने के सिक्के पर	वस्तु प्रदर्श 39
32	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	गिन्नी पर	वस्तु प्रदर्श 40
33	पी०डब्लू० 1	डा० जितेन्द्र सोलंकी	टॉप्स पर	वस्तु प्रदर्श

				41,42

7– अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव , रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला व लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशू यादव के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० दिनांक 18.11.2025 को अंकित किये गये।

अभियुक्तगण विमलेश, प्रवेश उर्फ नेपाली द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कहा है कि कोई हत्या व लूटपाट नही की है, मुकदमा झूठा चला है। साक्षी पी०डब्लू० 1 डा० जितेन्द्र सोलंकी के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि गवाही झूठी है जो अस्वीकार है। साक्षी पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा के साक्ष्य को झूठा बताया तथा कहा है कि उसके पास से कोई जेवर, रूपया व अन्य सामान बरामद नही हुआ था पुलिस ने उसका मोबाइल व आई०डी० भी झूठी बरामदगी के साथ थाने पर सील की है। साक्षी पी०डब्लू० 3 द्रविड कुमार सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि झूठा बयान दिया है कोई घटना नही की है, उसके पास से कोई बरामदगी नही हुयी है। यह भी कहा है कि उसे कोई जानकारी भी नही है। साक्षी पी०डब्लू० 4 एच०एम०निर्भाल सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत कराया गया गलत तरीके से विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया है। पी०डब्लू० 5 डा० योगेन्द्र सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कोई जानकारी होने से इंकार किया है। पी०डब्लू० 6 उ०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी, पी०डब्लू० 7 अभिषेक अग्रवाल, पी०डब्लू० 8 जसवंत सिंह के साक्ष्य को गलत बताया है। अभियुक्त द्वारा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। अभियुक्त विमलेश यादव ने अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसे व उसके पति को दिनांक 14–02–2018 को पुलिस थाना ले गयी जहां पर कई दिन रखने के बाद चालान कर दिया। अभियुक्त प्रवेश उर्फ नेपाली ने अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसे पुलिस दिनांक 14–02–2018 को उसके घर से पकड कर ले गयी जब वह पूर्णागिरी माता के दर्शन करके लौटा था एवं बाद में फर्जी गिरफ्तारी कई दिन थाना में रखने के बाद दिखा दी।

अभियुक्त रवि उपाध्याय द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कहा है कि कोई हत्या व लूटपाट नही की है मुकदमा झूठा चला है। साक्षी पी०डब्लू० 1 डा० जितेन्द्र सोलंकी के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि गवाही झूठी है जो अस्वीकार है। साक्षी पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा के साक्ष्य को झूठा बताया तथा कहा है कि उसके पास से कोई

जेवर, रूपया व अन्य सामान बरामद नही हुआ था पुलिस ने उसका मोबाइल व आई०डी० भी झूठी बरामदगी के साथ थाने पर सील किया है। दिनांक 17–02–2018 को रात 10:45 बजे अताईपुर जदीद मोड पर गिरफ्तार नही किया। साक्षी पी०डब्लू० 3 द्रविड कुमार सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि झूठा बयान दिया है कोई घटना नही की है। पुलिस ने दिनांक 17–02–2018 को रात 10:45 बजे अताईपुर जदीद मोड पर गिरफ्तार नही किया। साक्षी पी०डब्लू० 4 एच०एम०निर्भाल सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत कराया गया गलत तरीके से विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया है। पी०डब्लू० 5 डा० योगेन्द्र सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कोई जानकारी होने से इंकार किया है। पी०डब्लू० 6 उ०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी, पी०डब्लू० 7 अभिषेक अग्रवाल, पी०डब्लू० 8 जसवंत सिंह के साक्ष्य को गलत बताया है। अभियुक्त द्वारा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसे दिनांक 16–12–2018 को उसके घर जहागीराबाद, बुलन्दशहर से पुलिस बुलाकर फतेहगए पुलिस लाइन लायी , मारपीट की व दिनांक 17–12–2018 को झूठी बरामदगी जेबर व सामान की दिखाकर मुकदमा में झूठा चालान कर दिया।

अभियुक्त शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कहा है कि कोई हत्या व लूटपाट नही की है मुकदमा झूठा चला है। साक्षी पी०डब्लू० 1 डा० जितेन्द्र सोलंकी के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि गवाही झूठी है जो अस्वीकार है। साक्षी पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा के साक्ष्य को झूठा बताया तथा कहा है कि उसके पास से कोई जेवर, रूपया व अन्य सामान बरामद नही हुआ था पुलिस ने झूठा चालान किया है। साक्षी पी०डब्लू० 3 द्रविड कुमार सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि झूठा बयान दिया है कोई घटना घटित नही की है। झूठी बरामदगी दिखायी गयी है। साक्षी पी०डब्लू० 4 एच०एम०निर्भाल सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत कराया गया गलत तरीके से विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया है। पी०डब्लू० 5 डा० योगेन्द्र सिंह के साक्ष्य के सम्बन्ध में कोई जानकारी होने से इंकार किया है। पी०डब्लू० 6 उ०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी, पी०डब्लू० 7 अभिषेक अग्रवाल, पी०डब्लू० 8 जसवंत सिंह के साक्ष्य को गलत बताया है। अभियुक्त द्वारा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसे व उसकी पत्नी अलीशा को दिनांक 16–02–2018 को उसके किराए के घर हरिद्वार से SOG प्रभारी संजय राय यह

कहकर लेकर आए कि आप दोनो ने अन्तरजातीय विवाह किया है। अलीशा के पिता ने आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र एस०पी० को दिया है जिसके सम्बन्ध में पूछतांछ हेतु एस०पी० आफिस फतेहगढ चलना होगा। दिनांक 16-02-2018 को उसे व उसकी पत्नी को सुबह 6 बजे हरिद्वार से लेकर फतेहगढ आए तथा इस मामलें में झूठा चालान कर दिया।

अभियुक्त आशू उर्फ लालू द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया है। साक्षी पी०डब्लू० 1 डा० जितेन्द्र सोलंकी, पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा , पी०डब्लू० 3 द्रविड कुमार सिंह, पी०डब्लू० 4 एच०एम०निर्भाल सिंह , पी०डब्लू० 5 डा० योगेन्द्र सिंह, पी०डब्लू० 6 उ०नि० हरिओमप्रकाश त्रिपाठी, पी०डब्लू० 7 अभिषेक अग्रवाल, पी०डब्लू० 8 जसवंत सिंह के साक्ष्य को गलत बताया है। अभियुक्त द्वारा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि वह अभियुक्त नेपाली उर्फ प्रवेश का रिश्तेदार है इसी कारण पुलिस ने उसे इस मामलें में झूठा फसा दिया।

8- बचाव पक्ष की तरफ से साक्षी डी०डब्लू० 1 अलीशा पत्नी शिवम शुक्ला को परीक्षित कराया गया है।

9- **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 डा० जितेन्द्र सोलंकी** ने दिनांक 31.10.18 एवं 27.10.21 में कथन किया है कि दिनांक 14.02.18 को उसे घटना के बारे में पता चला था घटना उससे पहले हो चुकी थी। उसकी सास श्रीमती साधना गौड अपने घर मो० पाठक में अकेली रहती थी। दिनांक 11.02.18 को शाम को लगभग चार बजे उसकी पत्नी डा० प्रिया गौड से उनकी फोन से बात हुई थी। बात चीत के दौरान उनका फोन स्वीच आफ हो गया । फिर उसकी सासस को मोबाइल नम्बर 7275182461 पर कोई बात नहीं हुई । दिनाक 14.02.18 को शाम को मोतीलाल नि० अताईपुर थाना कायमगंज का उसके पास फोन आया था कि घर का गेट नहीं खुल रहा है और अन्दर से भी कोई आवाज नहीं आ रही है । इस सूचना पर वह अपनी पत्नी को लेकर कायमगंज के लिए निकल लिया। कायमगंज पहुंचकर उसने देखा कि घर के बाहर का गेट खुला हुआ है और अन्दर घुसने वाला गेट अन्दर से बंद है। नन्हे, मुकेश निवासीगण अताईपुर विमल गुप्ता निवासी मो० पाठक , विवेक निवासी मो० पाठक जो उसकी सास साधना गौड के किरायेदार है, मौके पर आ गये फिर उसने गेट की प्लास्टिक की जाली तोड कर उसकी पत्नी ने अन्दर हाथ डाल कर गेट खोल दिया। अन्दर जा कर देखा कि किचन

के बराबर वाले कमरे मे उसकी सास का शव औंधे मुंह पडा है । जिनके हाथ काटने की रस्सी से पीठ की ओर बंधे थे तथा पैर भी बंधे थे। मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसकी पत्नी ने दूसरे कमरो में जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पडा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी सास को दम घोंट कर मार दिया तो और सारा सामान लूट लिया हो। लूटे सामान में दो दस्त बंध, एक ब्रेशलेट, तीन गले की सोने की चैन , एक जोडी झुमकी , एक जोडी झाले , चार सोने के कड़े, आठ अंगूठी एक गले में पहली सोने की चैन चार पहनी सोने की चूडी एक जोडी टाप्स चेन सहित तथा एक जोडी चांदी की पायल, 26 चांदी के सिक्के , चार से पांच लाख रुपये नकद और कुछ बैंक से संबंधि कागजात लूटे गए थे । इस सामान के अलावा और भी सामान हो सकता था उस समय जो याद आया लिखा दिया था। घटना के संबंध में उसने स्वंय तहीर लिखकर थाने पर दी थी. जो पत्रावली में का०स० 5A है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि व पहचान करता है इस पर प्रदर्श क 1 डाला गया।

दिनांक 17.02.18 को रात 8:25 बजे करीब पुलिस घर पर आयी थी और विलमेश पत्नी नेपाली जो उसकी सास के यहां किराये पर ऊपर रहती थी के पास से चांदी की करधनी , मिक्स धातु की , एक सोने की चैन , दो सोने के कंगन , एक माइक्रोफोरस टेप दाहिने हाथ वाले कमरे में बैड के गद्दे के नीचे से बरामद किये थे। टेप के सम्बन्ध में विमलेश ने बताया कि इसी टेप से आंटी जी का मुहं बद किया था। न्यायालय के समक्ष कुल चार बाक्स प्रस्तुत किये गये जिसने पहला बाक्स न्यायालय की अनुमति से खोला गया । जिसमें अभियुक्त विमलेश से बरामद शुदा माल को देखकर गवाह ने देखकर पहचान कर कहा कि यही सामान उसके सामने विमलेश ने पुलिस को बरामद कराया था। इस पर बने गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की , डब्बे पर वस्तु प्रदर्श 1, सोने के कडा पर वस्तु प्रदर्श 2, 3, करधनी चांदी की पर वस्तु प्रदर्श 4, सोने की चैन पर वस्तु प्रदर्श 5 तथा टेप पर वस्तु प्रदर्श 6 डाले गये। पत्रावली में शामिल का०स० 6A/3 बने अपने हस्ताक्षर की गवाह ने पहचान व पुष्टि की।

उसी दिन 17.02.18 को रात के करीब 10:45 बजे अताई पुर जाने वाले रास्ते पर जो कायमगंज से अताईपुर जाता है जहां चौक जाने वाला रास्ता मिलता है, जहां दो दुकाने भी थी दुकाने बंद थी कुछ दूरी पर एक घऱ बना हुआ था। वहां पर नेपाली यादव से उसके व उसकी पत्नी प्रिया गौड तथा उसकी साली प्रियंका गौड के सामने एक सोने की

करधनी वजन 98 ग्राम पहने हुए शर्टी की ऊपरी जेब में 500 रु० 24 नोट कुल 12000/–पहने पैंट की जेब से एक मोबाइल फोन और एक हीरो सुपर स्पेलन्डर सिलेटी रंग की न० UP76W5054 बरामद हुई न्यायालय के समक्ष पारदर्शी दूसरा बाक्स पेश हुआ जिसके अन्दर एक सोने की करधनी, 500/–रु० के 24 नोट एक मोबाइल फोन काले रंग का लावा जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही माल है जो उसके सामने नेपाली यादव से बरामद हुआ था। बक्से पर प्रदर्श 7 सोने की करधनी पर वस्तु प्रदर्श 8 नोटो की गड्डी पर प्रदर्श 9 व मोबाइल पर वस्तु प्रदर्श 10 डाला गया। उक्त बरामद शुदा माल के डिब्बे पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर को पहचाना व पुष्टि की।

उसी दिन रवी उपाध्याय से उसके दाहिने हाथ से एक झोला बरामद हुआ था। जिस पर मोबाइल प्लाजा लिखा था। इस झोले के अन्दर से चार सोने की चूडिंया, एक जोडी सोने की झुमकी , एक गले की सोने की चैन एक शंख, इस्तेमाली , एक वाक मैन congly का, चार पैकेट कैसेट प्लेयर , एक बोटर आई कार्ड तथा शर्ट की जेब से 500/–रु० के 10 नोट एक काले रंग का सैमसंग मोबाइल उसके सामने बरामद हुआ था। बरामद शुदा माल न्यायालय मे एक पारदर्शी प्लास्टिक के डब्बे में मौजूद है । इस पर लगी माल बरामदगी की चिट पर उसके हस्ताक्षर है तथा तिथि अंकित है । न्यायालय की अनुमति से सील बंद डब्बा खोला गया, उससे उपरोक्त माल निकाल डब्बे पर वस्तु प्रदर्श 11, चार सोने की चूड़ियां पर क्रमश वस्तु प्रदर्श 12 से 15, सोने की झुमकियों पर वस्तु प्रदर्श 16 व 17, गले की सोने की चैन पर वस्तु प्रदर्श 18, शंख पर वस्तु प्रदर्श 19 वाकमैन पर 20, चार कैसटो पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 21 लगायत 24, वोटर आई कार्ड पर वस्तु प्रदर्श 25 तथा नोट की गड्डी पर वस्तु प्रदर्श 26 डाला गया।

उसी दिन उसी जगह पर शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला से पहने जैकेट की अन्दर वाली सीने की जेब से एक सोने की चैन गोल दाने दार , एक सोने की चेन, एक मगंल सूत्र कलशनुमा , एक सोने का सिक्का, एक जोडी टाप्स चेन सहित , सोने के दाने 4.5g, 01 चांदी का छल्ला एक गिन्नी, 18 चांदी के सिक्के , एक मोबाइल 4 जी सेमसंग सिलेटी रंग का, 2000/–रु० का एक नोट 500/–रु० के दो नोट , 20 के 100 नोट , 10 के 400 नोट उसके , उसकी पत्नी , उसकी साली के सामने बरामद हुए थे। उक्त समस्त माल उसके सामने एक प्लास्टिक के डब्बे में न्यायालय में मौजूद है जो यह वही माल है जो उसके सामने अनुपम शुक्ला से बरामद हुआ था। पारदर्शी डब्बे पर माल बरामदगी की चिट लगी है ।

जिस पर उसके हस्ताक्षऱ है न्यायालय की अनुमति से माल खोला गया । डब्बे पर वस्तु प्रदर्श 27, गोल दाने वाली चेन पर वस्तु प्रदर्श 28, दूसरी चेन पर वस्तु प्रदर्श 29, मंगल सूल पर वस्तु प्रदर्श 30, चांदी के गुच्छे पर वस्तु प्रदर्श 31 फोन पर वस्तु प्रदर्श 32, दस के नोटो की 4 गड्डियों पर वस्तु प्रदर्श 33 बीस के नोट की 4 गड्डियां पर वस्तु प्रदर्श 34, 500/–रु० के दो नोट पर वस्तु पर्दर्स 35, 2000/–के नोट पर वस्तु प्रदर्श 36, सोने के दाने वस्तु प्रदर्श 37, 18 चांदी के सिक्को पर वस्तु प्रदर्श 38, सोने के सिक्के पर वस्तु प्रदर्श 39, सोने की गिन्नी पर वस्तु प्रदर्श 40 तथा टाप्स पर वस्तु प्रदर्श 41 व 42 डाले गये।

उक्त सामान बरामद शुदा माल SO साहब ने अपने बैग में रखी एक इलेक्ट्रिक वेट मशीन से तौलकर उसके सामने सील किये थे। उसके व उसकी पत्नी व साली के सामने मुल्जिम नेपाली यादव, रवी उपाध्याय , शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला से बरामद शुदा माल की लिखा पढी की थी जिस पर उसके , उसकी पत्नी प्रिया के हस्ताक्षर कराये थे। गवाह ने का०स० 6A/1 व 6A/2 को देखकर कहा कि इस पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि व पहचान करता है । बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

10– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा** ने दिनांक 25.03.19 एवं 22.08.22 में कथन किया है कि उसकी मां श्रीमती साधना गौड़ मो० पाठक थाना कायमगंज में उसके पिता की मृत्यु के बाद से अकेली रहती थी। वह दो बहिन है । उसके कोई भाई नहीं है । उसकी छोटी बहन प्रिया गौड की शादी डा० जितेन्द्र सोलंकी निवासी बुलन्दशहर के साथ हुई है। उसकी मां से उसकी अक्सर बात चीत होती रहती थी। उसकी मां साधना गौड से दिनांक 11.02.18 को सुबह 11 बजे बात हुई थी। दिनांक 12.02.18 को डा०प्रिया गौड ने उसे फोन से सुबह 10 बजे बताया कि दिनांक 11.02.18 को शाम चार बजे उसकी मम्मी से बात हुई थी और बात करते करते अचानक फोन बंद हो गया था। फोन अक्सर बात करते करते बंद हो जाता था जब ठीक होता था तब पुनः काल होती थी। उसकी बहन ने 14.02.18 को रात 12:00 बजे के करीब उसे फोन से बताया था कि मां की हत्या हुई है व लूटपाट भी हुई है। इस खबर पर वह दिनाक 15.02.18 को कायमगंज आ रही थी कि शाम 6:30 बजे सूचना मिली कि मां का दाहसंस्कार घटिया घाट में हो रहा है। वे लोग वहीं पुहंचे। मां का दाह संस्कार होने के बाद

रात 10 बजे करीब वे लोग कायमगंज मां के घर पहुचे। वह 07.04.18 तक कायमगंज में ही रही । उसकी मां की हत्या व लूट के संबंध में एफ० आई० आर० डा० जितेन्द्र सोलंकी ने थाना कायमगंज में करायी थी। उसकी मां के पास जो गहने थे, उनके बारे मे उसे व उसकी बहन प्रिया को मालुमात थी क्योकि दीवाली आदि पर जेवरातो को मां पूजा में रखती थी तब देखते थे, मां जेबर उन बहिनो को पहनने को भी देती थी तथा जब कोई नया जेवर लाती थी तो उनको दिखाती थी। उसकी मां ने अपने घर में नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव को ऊपरी मजिंल में आगे का पोर्शन किराये पर दे रखा था। नेपाली के साथ उसकी पत्नी विमलेश भी रहती थी। इन लोगो को वे भली भांति जानते पहचानते थे।

दिनांक 17.02.18 को समय रात 8:30 बजे पुलिस उसकी मां के घर पर आयी थी। घर पर वे चार लोगो, वह व उसका पति व उसकी बहन डा० प्रिया व उसके बहनोई डा० जितेन्द्र सोलंकी थे। उन लोगो से पुलिस ने कहा कि विमलेश के घर की तलाशी लेनी है । उनके साथ चलो। वे लोग पुलिस के साथ विमलेश के कमरे में गये उसके पति बच्चो के पास रुक गये थे। पुलिस ने विमलेश से कहा कि उनके पास साधना गौड का जो लूटा माल है उसे दे दो, तब विमलेश ने उसकी मां का लूटा माल एक चांदी की करधनी, एक सोने की चेन , दो सोने के कडे एक माइक्रोकोरस टेप , बैड के गद्दे के नीचे से निकाल कर दिया। पुलिस ने कमरे की तलाशी ली उसमें लूट का अन्य कोई सामान नहीं मिला था। पुलिस ने मौके पर लिखा पढी की थी उस पर उन लोगो के दस्तखत कराये थे। माल उन लोगो को दिखाकर सील मोहर किया था। पत्रावली में शामिल का०स० 6A/3 पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान व पुष्टि की । पुलिस विमलेश को मौके से पकड़ कर ले गयी थी।

उसी दिन करीब 10 बजे जितेन्द्र सोलंकी के पास थाने से फोन आया उनकी फोन पर बात चीत हुई थी। उन्होने उन्हें बताया था कि कोतवाली से फोन आया है पुलिस कायमगंज से अताईपुर जाने वाले रास्ते पर बुला रही है ,वहां माल व मुल्जिमान मिलने की संभावना है । इस पर वह , उसकी बहन प्रिया व डा० जितेन्द्र सोलंकी अताईपुर तिराहे पर पुहंचे जहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी। लगभग 10:45 बजे एक मोटरसाइकिल तीन लोग आये पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक फिसल गयी तीनो गिर गये तब पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया।

नाम पता पूंछने पर एक ने अपना नाम नेपाली यादव बताया जिसके पास से एक सोने की तगड़ी , 12000/–रु० जो 500 रु०के 24 नोट थे, निकले दूसरी जेब से

एक मोबाइल निकला जो उसी का था। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रवि उपाध्याय बताया उसके पास एक थैला था, जिसमें चार सोने की चूडियां थी, एक सोने की चैन व एक जोडी झुमकी सोने की एक वाक मैन व एक पुराना शंख व उसकी मां का वोटर आई डी कार्ड निकला तथा शर्ट की जेब से 500/–रु० के दस नोट , एक मोबाइल सैमसंग का निकला जो उसका स्वंय का था। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अनुपम शुक्ला उर्फ शिवम बताया इसकी तलाशी से इसके पास से एक सोने की चैन दाने दार , एक सादा चैन, एक मंगलसूत्र सोने का कलशनुमा डिजाइन का तथा 18 चांदी के सिक्के , एक सोने का सिक्का व एक गिन्नी सोने की] 5 ग्राम सोने के दाने , एक जोडी टाप्स चेन दार सोने के , चांदी का चाबी का गुच्छा दो हजार रुपये का एक नोट , 500/–रु० के दो नोट, 20/–रु० के 100 नोट व 10 रु०के 400 नोट व एक टच स्क्रीन गोल्डन क्रीम कलर सैमसंग का मोबाइल बरामद हुआ , बरामद माल उसकी मां का लूटा माल था। बदमाशो ने पुलिस को बताया था कि दिन मे करीब 2:30 बजे दिनांक 12.02.18 को उन लोगो ने साधना गौड की हत्याकर के यह सामान लूटा था। कुछ सामान विमलेश को दिया था, बाकी सामान यह है। पुलिस ने मौके पर टार्च व कारो की रोशनी में लिखा पढी की थी मुल्जिमानो से बरामद माल अलग अलग सील किया था। पुलिस ने जो लिखा पढी की थी उन्हें पढ़कर सुनायी थी तथा नकल रवि उपाध्याय को दी थी तथा उन लोगो के दस्तखत बनवाये थे। पुलिस वालो ने अपने दस्तखत बनाये थे तथा मुल्जिमानो के भी दस्तखत कराये थे। पत्रावली में शामिल का०स० 6A/1 लगायत 6A/2 पर बने अपने हस्ताक्षर की साक्षी ने पहचान व पुष्टि की ।

न्यायालय के समक्ष मुकदमा से संबंधित माल चार पैकेट न्यायालय की अनुमति से खोले गए जिन पर वस्तु प्रदर्श पूर्व से पडे हुए है ।

एक डिब्बा जिस पर मुकदमें से संबंधित इबारत लिखी है न्यायालय की सील लगी हुई है जिसमें एक चांदी की करधनी, एक सोने की चैन, दो सोने के कपडे, और एक माइक्रोकोरस टैप जो डाक्टर लोग इस्तेमाल करती है जो उसकी मम्मी का है जो अभियुक्त विमलेश से बरामद हुआ था। दूसरा पारदर्शी डिब्बा गवाह के सामने रखा गया । जिसमे एक सोने की करधनी (तगडी) तथा 500–500 के 24 नोट व एक अदद मोबाइल लावा जो अभियुक्त का है शेष सामान उसकी मां का है जो नेपाली से बरामद हुआ था। तीसरा पारदर्शी डिब्बा गवाह के समक्ष रखा गया तो गवाह ने बताया कि इसमें एक सोने की चैन दाने दार एवं सोने की चैन सादा एक मंगल सूत्र , 18 सिक्के चांदी के एक सिक्का सोने का ,

एक गिन्नी और एक चांदी का गुच्छा कान के टाप्स चैनदार, एक दो हजार का नोट पांच सौ के दो नोट, बीस के सौ नोट, दस के चार सौ नोट और दाने सोने के यह माल अनुपम शुक्ला उर्फ शिवम से बरामद हुआ था। और यह सारा सामान उसकी मां का है । तथा अभियुक्त से एक मोबाइल सैमसंग जो अभियुक्त का था उसके सामने पुलिस ने अनुपम शुक्ला से बरामद किया था। चौथा पारदर्शी डिब्बा गवाह के सामने रखा गया तो गवाह ने बताया कि चार सोने की चूड़िया, एक सोने की चैन , एक जोडी झुमकी , सोने की एक पुराना शंख तथा उसकी मां का मतदाता पहचान पत्र , एस वाक मैन एवं पांच सौ के दस नोट है। उपरोक्त सारा माल उसकी मां का है जो अभियुक्त रवी उपाध्याय से उसकी गिरफ्तारी के समय उसके सामने बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त का एक सैमसंग मोबाइल अभियुक्त से बरामद किया था। इसके संबंध मे विवेचक द्वारा उसका बयान लिया गया था। उसने उपरोक्त बाते बतायी थी। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

11– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 द्रविड कुमार सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मु०अ०स० 126/18 धारा302, 394IPC की विवेचना दिनांक 16.02.18 को कार्यवाहक एस एच ओ हरिओम प्रकाश त्रिपाठी से प्राप्त हुआ । इसी दिन उसके द्वारा पर्चा II किता किया गया जिसमें मृतका साधना की पुत्री डा० प्रिया गौड का बयान लिया गया एवं संदिग्ध व्यक्ति लाला उर्फ आशीष, नेपाली यादव की पतारसी, सुरागरसी एवं तलाश किया। पर्चा III दिनांक 17.02.18 को अंकित किया गया है, जिसमें स्वाट टीम प्रभारी संजय कुमार राय की मदद से महिला कास्टेबल की उपस्थिति में श्रीमती विमलेश यादव पत्नी नेपाली उर्फ प्रवेश यादव से गहन पूंछतांछ की गयी थी, तो घटना का खुलासा करते हुए खुद के साथ पति नेपाली यादव, बहन का लड़का लालू उर्फ आशीष यादव, रवि उपाध्याय व शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला द्वारा पडयंत्र कर उपरोक्त घटना किया जाना बताया । विमलेश यादव द्वारा घटना मे लूट पाट का कुछ जेवरात हाफ करधनी चांदी, बेड के नीचे से व एक सोने की चैन दो कडा सोने का का व विस्तर के नीचे से ही चिपकाने वाला टेप बरामद कराया था जिसकी मौके पर उसके द्वारा बोल बोल कर एस आई हरिओम प्रकाश त्रिपाठी से फर्द लिखवाई गयी थी। फर्द बिजली व टार्च की रोशनी में बनाई गयी थी। बरामद शुदा माल सील मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया था एवं विमलेश यादव को कारण

बताकर धारा–394, 302, 411IPC में हिरासत पुलिस में लेकर गिरफ्तारी मेमो बनाया गया था। फर्द पर उसके व गवाहन प्रियका शर्मा, प्रिया गौड , जितेन्द्र सोलंकी व हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर बनवाये गये व फर्द की कार्बन प्रति अभियुक्त विमलेश को देकर उसके हस्ताक्षर बनवाये गये थे। पत्रावली में शामिल का०स० 6A/3 फर्द बरामदगी को देखकर गवाह ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क 2** डाला गया।

इस साक्षी ने आगे अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्ता विमलेश यादव का बयान अंकित करते हुए इसी दिन शेष अभिुक्तगण नेपाली उर्फ प्रवेश यादव, रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला की तलाश में बेरिया तिराहे पर स्वाट प्रभारी संजय कुमार राय से विचार विमर्श कर रहे थे। मुखविर खास द्वारा दी गयी सूचना पर अताईपुर जदीद मोड पर पहुंचे एवं समय 10:45 बजे रात्री मोटरसाइकिल UP76W5054 सुपर स्पलेन्डर से आ रहे अभियुक्तगण नेपाली उर्फ प्रवेश यादव, रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला को पुलिस को देखकर हडबडा कर गिरने पर पकड लिया गया। नेपाली उर्फ प्रवेश यादव के पैट की दाहिने जेब से एक अदद सोने के करधनी (58 ग्राम) तथा शर्ट की ऊपरी जेब से 500 रु० की 24 नोट कुल 12000/–रु बरामद हुए। मोटर साइकिल हीरो सूपर स्पलेन्डर रंग स्लेटी खुद का होना व चालाना बताया । पैंट के दुसरी जेब से लावा मोबाइल मिला। दूसरे पकडे गये अभियुक्त ने अपना नाम रवि उपाध्याय बताया जिसकी जामा तलाशी में दाहिने हाथ में लिये झोले से चार अदद चूड़ियां सोने की, एक अदद झुमकी सोने की, एक अदद चैन सोने की, एक शंख पुराना, एक वाक मैन पुराना एवं वोटर आई डी कार्ड एवं पहनी हुई पैंट की ऊपरी जेब से 500 रु० के नोट कुल कीमत 5000/–बरामद हुए । एक अदद सैमसंग मोबाइल भी बरामद हुआ था। तीसरे अभियुक्त ने अपना नाम शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला बाताय जिसके कब्जे से पहने हुए जैकेट के अन्दर की जेब से एक सोने की चैन गोल दाने दार, एक सोने की चैन प्लेन, मंगलसूत्र, एक सिक्का सोने का, चांदी का गुच्छा, एक गिन्नी सोने की, सोने के दाने, 18 चांदी के सिक्के व रु० कुल 9000 बरामद हुआ है, सैमसंग मोबाइल गोल्डन क्रीम कलर भी बरामद हुआ था। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी प्रियंका शर्मा व प्रिया गौड पुत्रीगण मृतका व जितेन्द्र सोलंकी वादी मुकदमा मौके पर आये थे, बरामद जेवरात की शिनाख्त करते हुए मां मृतका साधना गौड का होना बताया गया। पकडे गये सभी उपरोक्त अभियुक्तगण ने जुर्म स्वीकरोक्ती करते हुए पैसो की कमी व जरूरत के कारण उपरोक्त घटना करना बताया । बरामद जेवरात

की बरामदगी अनुसार प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे मे इलेक्ट्रानिक उपकरण से तौल करते हुए कब्जा पुलिस में लेते हुए, चिट बंदी कर सर्व मोहर करते हुए नमूना मोहर बनाया गया था। अभियुक्त गण को कारण बताते हुए हिरासत पुलिस मे लेकर गिरफ्तारी मेमो बनाई गयी थी। फर्द टार्च की रोशनी में एस आई हरिओम प्रकाश त्रिपाठी को बोल बोल कर लिखवाते हुए संबन्धित गवाहन के हस्ताक्षर बनवाकर फर्द की कार्बन प्रति अभियुक्तगणो की सहमति से अभियुक्त रवि उपाध्याय को दी गयी थी व सभी अभियुक्तगणो के हस्ताक्षर भी फर्द पर बनवाये गये थे। पत्रावली में शामिल का०स० 6A/01 लगायत 6A/2 फर्द बरामदगी को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षरो की पुष्टि की जिसपर प्रदर्श क 3 अंकित किया गया।

इस साक्षी ने आगे अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि अभियुक्तगण के इसी दिन बयान लिये गये थे। पर्चा न० 4 दिनांक 26.02.18 को किता किया है जिसमें मृतका साधना गौड का पंचायतनामा व पी एम रिपोर्ट का एवं खून आलुदा कंक्रीट व सादी कंक्रीट जो कि घटनास्थल से लिया गया था जिसकी फर्द का अंकन किया गया है । गवाहन पंचान दीपक शुक्ला , चतुर सिंह , महेश सोलंकी , रामबहादुर का बयान अंकित करते हुए शेष अभियुक्त लालू उर्फ आशीष की तलाश की गयी है । पर्चा न० 6 मे जो कि 14.03.18 को किता किया गया है, में भी तलाश अभियुक्त किता किया गया है। पर्चा न० 7 में दिनांक 16.03.18 में अभियुक्त लालू यादव उर्फ आशीष की रोबकार हाजिरी प्राप्त हुआ है। पर्चा न० 8 में 21.03.18 मे लालू उर्फ आशीष यादव का बयान अंकित किया गया है । पर्चा न० 9 में 23.03.18 को किता किया गया , जिसमें अभियुक्त लालू की जन्म तिथि बाबत प्रमाण पत्र लेते हे प्रधानाचार्य का बयान अंकित किया गया । पर्चा न० 10 दिनांक 30.03.18 में न्यायिक रिमाण्ड लेने का हवाला अंकित है। पर्चा न० 10A जन्म तिथि बाबत हवाला अंकित है । पर्चा न० 11 में 31.03.18 में स्वाट टीम प्रभारी संजय कुमार राव व उनके हमराही यान का० सत्येन्द्र सिंह , का० अनुज तिवारी, इन्सपेक्टर प्रमोद कुमार पाण्डे , एस आई मुकेश यादव , एस आई हरिओम प्रकाश त्रिपाठी का बयान अंकित करते हे बरामदगी व गिरफ्तारी अभियुक्त का नक्शा संजय कुमार राय, हरिओम प्रकाश त्रिपाठी निरीक्षक प्रमोद पाण्डे की उपस्थिति में बनाया गया है एवं समायी साक्ष्य अंकित किया गया ।

इस साक्षी ने आगे अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पत्रावली में शामिल का०स० 7A/2 नक्शा नजरी फर्द बरामदी गिरफ्तारी अभियुक्तगण उसके लेख व

हस्ताक्षर में है जिसे देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की । जिस पर **प्रदर्श क 4** अंकित किया गया। पर्चा न० 12, दिनांक 11.04.18 को व पर्चा न० 13, 16.04.18 को रिमाण्ड बाबत एवं पर्चा 14 दिनांक 27.04.18 रिमाण्ड बाबत है। पर्चा न० 15, दिनांक 03.05.18 को किता किया गया है। जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रियंका शर्मा का बयान लेते हु पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण नेपाली उर्फ प्रवेश यादव, विमलेश यादव, रवि उपाध्याय, लालू यादव उर्फ आशीष यादव उर्फ आशु यादव, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला के विरूद्ध धारा394IPc, 302, 411, 120BIPC मे आरोप पत्र प्रेषित किया गया । एस सी डी पर्चा प्रथम दिनांक 16.05.18 व एस सी डी द्वितीय पर्चा दिनांक 25.05.18 व एस सी डी पर्चा तृतीय दिनांक 08.06.18 रिमाण्ड व एस सीडी चतुर्थ दिनांक 22.06.18 में माल व रिमाण्ड बाबत हवाला अंकित किया था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

12— **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 हेड मोहर्रिर निर्भाल सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.02.18 को थाना कायमगंज में बतौर हेड मोहर्रिर पद पर तैनात था। उसी दिन सुबह लगभग तीन बजे डा० जितेन्द्र सोलंकी, चतर सिंह निवासी ककराना बिजली घर थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर उपस्थित थाना आकर एक लिखित हिन्दी वादी खुद के दस्तखती तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके द्वारा बोलने पर कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा शब्द व शब्द टाइप कर दर्ज की गयी थी, जिस का खुलासा उसके द्वारा जीडी रपट न० 6 समय 3:04 मिनट पर 15.02.18 को अंकित किया गया । कम्प्यूटरीकृति जीडी साथ लेकर आया है। जिसका पत्रावली में का०स० 17B/1 से मिलान कर प्रमाणित कर रहा है । पत्रावली में का०स० 4A/1 लग० 4A/3 चिक रिपोर्ट है जो उसने कम्प्यूटर आपरेटर से बोल बोल कर लिखायी गयी थी जिस पर प्रदर्श क 5 अंकित किया गया। पत्रावली में शामिल का०स० 17B/1 जीडी कायमी है जो उसने कम्प्यूटर आपरेटर से बोल कर टाइप करायी गयी जिस की वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क 6 डाला गया । दौरान विवेचना विवेचक ने उसका बयान लिया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मु०अ०स० 126/18 धारा394, 302IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा

की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

13– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० योगेन्द्र सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.02.18 को वह फतेहगढ़ में स्थित पोस्टमार्टम हाउस मे अपनी ड्यूटी पर तैनात था। उक्त दिनांक को 2:30PM पर एक सर्व मोहर लाश श्रीमती साधना गौड उम्र लगभग 58 वर्ष पत्नी नरेन्द्र कुमार गौड निवासी मो० पाठक थाना कोतवाली कायमगंज जिला फर्रूखाबाद को पोस्टमार्टम हेतु सीपी 195 दिनेश कुमार एवं HC824 अवनीश कुमार तथा कायमगंज मय 11 पुलिस प्रपत्रो सहित पोस्टमार्टम हाउस में लेकर आये। व शिनाख्त की। उसके द्वारा मृतका का शव विच्छेदन दिनांक 15.02.18 समय 4:35pm पर शुरू करके 5:00pm पर समाप्त किया गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट निम्नवत है–

मृतका का शरीर अच्छी कद काठी का गैस के कारण फूला हुआ था। आंखे बंद थी, मुंह थोडा खुला हुआ था। चेहरा , होंठ एवं नाखून नीलिमा लिए हुए थे। छोटे फफोले गर्दन पर एवं सीने के ऊपरी भाग में मौजूद थे। मृत्यु के पश्चात की अकड़न पूरे शरीर से निकल हुयी थी। दोनो हाथ गांठ सहित पीछे की तरफ बंधे हुए थे। दोनो पैर एंकिल ज्वाइन्ट (पैर का गांठ) के पास सफेद पतली रस्सी एवं धोती के छोर से गांठ सहित बंधे हुए थे। मुंह पर लगाम के आकार का मुखगुहा तक गहरा गांठ सहित कसा हुआ कपड़ा शव पर पाया गया। पूरे शरीर से दुर्गन्ध आ रही थी।

मृत्यु पूर्व चोटे निम्न प्रकार हैः–

1–एक नीलगू चोट निशान 4X3cm दाहिनी निचली आंख की पलक पर मौजूद था।

2–एक नीलगू चोट का निशान 3X2.5 cm बांयी निचली आंख की पलक पर मौजूद था।

3–एक नीलगू चोट का निशान 5X3cm नाक पर मौजूद था। दोनो नथुने दबे हुए थे।

4–एक नीलगू चोट निशान 3X1.5cm ऊपर वाले होंठ पर मौजूद था।

5–एक नीलगू चोट का निशान 7X4cm ढोड़ी पर एवं निचले होंठ पर मौजूद था।

6–एक नीलगू चोट निशान 9X5cm दाहिनी बाजू के ऊपरी एवं बाहरी हिस्से में मौजूद था।

7–एक नीलगू चोट निशान 4X2cm दाहिनी कलाई के ऊपर बाहरी हिस्से में मौजूद था।

8–एक नीलगू निशान 3X20cm बांयी कलाई पर बाहरी हिस्से में मौजूद था।

<u>आंतरिक परीक्षण</u>

मस्तिष्क एवं उसके ऊपर मौजूद झिल्लियां, दोनो फेफडे एवं उनके ऊपर मौजूद , झिल्लियां कंजेस्टेड (नीलिमा) लिए हुए थे एवं सड़न मौजूद पायी गयी । हृदय खाली एवं मुलायम था। अमाश्य में लगभग 80 ग्राम पचा हुआ खाद्य पदार्थ मौजूद पाया गया । लीवर तिल्ली एवं दोनो गुर्दे कन्जेस्टेड(नीलिमा) लिए हुए थे। सडन मौजूद थी। उसकी राय में मृतका श्रीमती साधना गौड की मृत्यु , मृत्यु पूर्व नाक व मुंह बंद करने से सांस अवरुद्ध होने के कारण हुई थी। मृतका के मृत्यु का संभावित समय लगभग दो से तीन दिन पूर्व का था।

पोस्टमार्टम की दो प्रति, 11 पुलिस प्रपत्र व एक सील बंद कपडे की पोटली जिसमें साडी एक , ब्लाऊज एक , स्वेटर एक , पेटीकोट एक , पतली रस्सी एक , कपडे का टुकडा एक ,सहित साथ आये पुलिस कर्मियों को प्राप्त कराये गये। पत्रावली पर मौजूद पेपर स० 8A पोस्टमार्टम रिपोर्ट नम्बर 73/2018 दौरान पोस्टमार्टम उसके द्वारा तैयार की गयी थी जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है । प्रदर्श क 7 डाला गया। मृतका की हत्या दिनांक 12.02.18 के दोपहर 2:00 बजे होना संभव है । बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

14– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 6 उप०नि० हरिओम प्रकाश त्रिपाठी** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.02.18 को थाना कायमगंज में बतौर उप नि० के पद पर तैनात था और उसे थाना कोतवाली कार्यालय का प्रभार एस एच ओ के लाइन हाजिर के उपरांत मिला था। उसने मु०अ०स० 126/18 धारा394, 302iPC बनाम अज्ञात के विवेचक से उसने ग्रहण की थी। उसने पर्चा न० 1 में एफ आई आर , जीडी कायमी का अवलोकन कर उसका अंकन केस डायरी में किया। एफ आई आर लेखक HM निर्मल सिंह व बयान वादी एस आई जितेन्द्र सिंह सोलंकी का अंकित किया तथा उनकी निशानदेही पर ही घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा मौके पर ही नक्शा नजरी तैयार किया जो उसके लेख व हस्ताक्षर जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क 8 डाला गया। समाई साक्षी दिलीप रस्तोगी, विमल गुप्ता , अभिषेक अग्रवाल का बयान अंकित किया । इन लोगो द्वारा बताया गया कि मृतका साधना गौड के घर दो किरायेदार है। किरायेदार नेपाली जो अपनी पत्नी के साथ रहता है इसका लड़का कहीं पालीटेक्निक कर

रहा है तथा साक्षी अभिषेक ने बताया कि उसके घर में हाई रिज्यूलेशन का कैमरा लगा है जिनके कुछ डारेक्शन मृतका की घर की ओर है जो मृतका के घर आने जाने वालो की लोकेशन दिखायी है । कैमरे को देखा गया तो नेपाली 11.02.18 तक दिखाई पडा। उसी के बाद मोहल्ले व आस पाल के लोगो ने बताया कि नेपाली विगत 2–3 दिन से गायब है । साक्षी उमंग सिंह ने बताया कि मृतका साधना गौड के यहां रोजाना दूध देने आता था, दिनांक 11.02.18 को वह दोपहर दो तीन बजे के मध्य दूध दिया था तथा रोजाना इसी समय दूध देता था। जब वह दूध देने जाता था आवाज लगाता था तो अंटी जी अंदर बुला लेती थी। यदि गेट बंद रहता था तो खुद आकऱ दूध ले लेती थी। महीना पूरा होने पर उसे पूरा भुगतान कर देती थी। प्रतिदिन की भांति दिनांक 12.02.18 को जब वह समय करीब 2:30 बजे दूध देने के लिए गया था। आवाज लगायी कि अंटी जी दूध ले लो तो अंदर से आवाज ऩहीं आयी। दरवाजा खुला हुआ था। गेट के अंदर ही नेपाली जो किरायेदार के रुप में रहता है खडा हुआ था। अंदर को धुसने को हुआ तो उसे नेपाली ने रोक लिया और बताया कि अंटी जी गुस्से में है, अंदर न जाओ। तो उसने कहा कि दूध तो देना ही है इस पर नेपाली ने ऊपर से अपनी पत्नी को आवाज देकर बुला लिया है व उसकी पत्नी दूध लेकर अंदर चली गयी, तथा नेपाली ने कहा कि तुम जाओ। यह बात उस समय नहीं समझपाया था कि कोई घटना घटित हुई है । दिनांक 13–14 की भी दूध देने गया था पर अंदर से आवाज नहीं आयी, तो वह वापस चला गया , हो सकता है कि अंदर और कुछ लोग हो।

उसने नेपाली की पत्नी विमलेश का बयान अंकित किया तथा साक्षी विवेक कुमार का बयान अंकित किया । उसी दिन उसने मृतका साधना गौड का पंचायतनामा भरा था। पंचायतनामा को उसके बोलने पर एस आई प्रमोद पाण्डे द्वारा तैयार किया गाय। पत्रावली में शामिल का०स० 9A/1 लगा० 9A/3 पंचायतनामा है जिसे उसके बोलने पर उप नि० प्रमोद कुमार पाण्डे द्वारा लिखा गया है जो उनके लेख व उसके हस्ताक्षर में है वह उनके लेख व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है । जिस पर **प्रदर्श क 9** डाला गाय।

इस साक्षी ने आगे अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वादी की सूचना पर एफ आई आर दिनांक 15.02.18 को समय 3:04AM अंकित हुई । सूचना पर वह व उसके हमरायी यान थाना से घटना स्थल समय 3:30AM पर पहुंचे। अन्य कार्य में व्यस्त

एवं रात्रि होने के कारण पंचायतनामा की कार्यवाही सूर्योदय के उपरोक्त 9:00 बजे लगभग भर कर समाप्त की गयी थी। पंचायतनामा में उसने पंचान नियुक्त किये थे तथा दशा शव व हुलिया पहचान चोट राय पंचान व अनपी राय अंकित करने के उपरांत शव को सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया था। लाश को का० विवेक सिंह व होमगार्ड अवनीश कुमार को आवश्यक प्रपत्रो के साथ सुपुर्द कर वास्ते पोस्टमार्टम जिला मुख्यालय भेजा था। पत्रावली में शामिल का०स० 10A चिट्ठी सी एम ओ व पेपर स० 11A चालान नाश, 12A फोटो नाश, उसके हस्ताक्षर में है और एस आई प्रमोद कुमार के लेख में है वह उनके लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता है जिस पर क्रमशःप्रदर्श क 10, प्रदर्श क 11 व प्रदर्श क 12 डाले गये। मौके पर ही उसके द्वारा मृतका के लाश के पास से खून आलूदा कंक्रीट व सादा कंक्रीट ली गयी थी जिन्हें अलग अलग डिब्बे में रखकर सील सर्व मोहर व नमूना मोहर तैयार कर उसके द्वारा फर्द तैयार की गयी थी। पत्रावली में शामिल पेपर स० 13A फर्द है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है प्रदर्श क 13 डाला गया। पत्रावली में शामिल पेपर स० 6A/1 लगायत 6A/3 फर्द बरामदगी अभियुक्त व अभियुक्ता है जो उसके लेख व हस्ताक्षर मे है जिसमें पूर्व प्रदर्श डाले जा चुके है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

15– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 अभिषेक अग्रवाल** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह पोस्टग्रेजुएट व एम बी ए है । उसके मकान के पास साधना पत्नी नरेन्द्र कुमार गौड पडोस मे रहते है। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और मृतक साधना गौड अकेली रहती थी। दिनांक 11.02.18 को इनके घर के अंदर ही इनसे लूटपाट की गयी थी और इनकी हत्या कर दी गयी थी। उसके घर मं सी सी टी वी कैमरे लगे हुए है जिनका दिशा मृतका साधना गौड के घर की ओर है । साधना गौड का मकान बडा है और इनका मकान उसके मकान से एक मकान छोड़कर दक्षिण की ओर है । जिस समय साधना गौड की लूटपाट करने के बाद हत्या कर दी गयी थी उस समय उनके मकान में किराये दार रहते थे। साधना गौड की हत्या के पश्चात उसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की दिनांक 11.02.18 की फुटेज थानाध्यक्ष कायमगंज उसके सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग उसके यहां से ले गये थे। उसके सी सी टीवी कैमरे से सूर्या हास्पिटल वाली रोड के डारेक्शन मे भी लगे है। इन कैमरो मे उत्तर ऱोड पर आने जाने वाले व्यक्ति अच्छी तरह से

दिखाते है । बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

16– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 8 जसवंत सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके द्वारा पूरक पर्चा स० 5 दिनांक 04.07.18 को किता किया गया था। दिनांक 04.07.18 को थाना कायमगंज में पंजीकृत अ०स० 126/18 घारा 394, 302, 411, 120B IPC की विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्रविड़ सिंह के स्थानान्तरण के पश्चात उसने ग्रहण की थी एवं पूर्व विवेचको द्वारा कृत विवेचना का अवलोकन दिया गया । उसके द्वारा धारा 394, 302, 411, 120B IPC के स्थान 396, 412 व 120BIPC के परिवर्तन करने की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जिसका तस्करा उसके द्वारा केस डायरी में अंकित किया गया। उसके द्वारा पूरक पर्चा स० 6 दिनांक 05.07.18 को किता किया गया था। जिसमें धारा394, 302, 411 में अभियुक्त नेपाली यादव शिवम रवि उपाध्याय व श्रीमती विमलेश यादव, एवं अनुपम शुक्ला , के विरूद्ध धारा 396, 412 व 120B IPC की बढोत्तरी होने का विवरण केस डायरी में अंकित किया गया। पूरक पर्चा न० 7 उसके द्वारा दिनांक 10.07.18 को किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण नेपाली यादव, शिवम, रवि उपाध्याय व श्रीमती विमलेश यादव, एवं अनुपम शुक्ला के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र स० 165/18 धारा 396, 412 120B IPC में न्यायालय प्रेषित किया गया । सह अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशू यादव के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर दिनांक 16.03.18 को किशोर न्यायबोर्ड में धारा 396, 412, 120B IPC में आरोप पत्र स० 271A/18 प्रस्तुत किया था। पत्रावली में शामिल का०स० 3A/1 ल० 3A/5 को जरिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिखाया गया, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही आरोप पत्र है जो उसने कम्प्यूटर आपरेटर से टाइप कराकर अपने हस्ताक्षर कर न्यायालय प्रेषित किया था । वह अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क 14** डाला गया। विशेष सत्र परीक्षण स० 107/19 में शामिल का० स० 16A/1 लगायत 16A/3 को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही आरोप पत्र है जो उसने अभियुक्त आशीष उर्फ लालू उर्फ आशू यादव के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर किशोर न्यायबोर्ड भेजा था इलेक्ट्रानिक माध्यम से साक्षी को उक्त आरोप पत्र दिखाया गया तो साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श क 15** डाला गया। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय

उचित स्थान पर किया जायेगा।

17– बचाव साक्षी डी०डब्लू० 1 अलीशा पत्नी शिवम शुक्ला द्वारा कथन किया गया है कि उसने 06 नवंबर 2017 को हिंदू रीति रिवाज के साथ शिवम शुक्ला के साथ रोशनाबाद शिव मंदिर में विवाह किया। विवाह के पश्चात उसी दिन उसने अपने पिता जी को फोन करके बताया कि उसने शिवम शुक्ला के साथ शादी कर ली है और वह हरिद्वार में है वह उसे ढूंढने की कोशिश करके परेशान न हो। तो उसके पापा ने कहा कि जहाँ भी हो घर वापस आ जाओ। जब उसने घर वापस आने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि हम इस विवाह को नहीं मानते हैं। अगर वह वापस नहीं आएगी तो वह उसके पति को जान से मरवा देंगे या अन्य किसी झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि वह नहीं आएगी वह उसी के साथ रहेगी और उसने फोन काट दिया। उसके बाद वह अपने किराये के कमरे पर वापस आ गये। 07 नवंबर 2017 को वह दोनों पति पत्नी सिडकुल जो इंडस्ट्रीयल एरिया है वहाँ पर नौकरी की तलाश में जा रहे थे बीच में ही सेक्टर 4 बी०एच०ई०एल० में उसके परिवार वालों ने उसे ऑटो में देखा और उसे ऑटो से उतरवा लिया। उसकी माँ और उसकी बहनों ने उसे पकड़ा और उसके पति को उसके पिता और चाचा जी ने पकड़ा। उसके साथ मारपीट करते हुए उसके परिवार वालों ने उससे कहा कि उनके साथ वापस चलो। वह इस विवाह को नहीं मानते हैं। वह उसका तलाक करा देंगे और उसे गालियाँ देने लगे। जब उसने जाने से इंकार किया और कहा कि वह अपने पति के साथ ही रहेगी तो उन्होंने कहा अगर वह उनके साथ नहीं जायेगी तो उसके पति को मरवा देंगे नहीं तो झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। उसके आपसी झगड़े को देखकर राह चलते लोगों ने उसका बीचबचाव किया। इस बीच वह मौका पाकर पति पत्नी दोनों निकल गये और पास ही स्थित रानीपुर कोतवाली पहुँचे। वहाँ पर उसने अपने साथ हुई घटना बताई और लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया और उसकी जान की सुरक्षा करें। वहाँ उन्होंने उसे थोड़ी देर बिठाया जब उसने देखा उसके लिये कोई संतुष्टीजनक कार्यवाही नहीं हो रही है तब वह रोशनाबाद कचहरी गयी। वहाँ उसने वकील को अपने साथ हुआ वाकया बताया। तो 8 नवंबर 2017 को उसके द्वारा उसके परिवार के खिलाफ कंपलेट केस न्यायालय में फा फाइल करवाया जिसमें उसने उसके पति की जान की सुरक्षा के लिए मदद मांगी और भविष्य में झूठे मुकदमे में फंसवाने की बात कही। जिसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध है। उसके बाद वह पति पत्नी अपने किराये के कमरे पर वापस आ गये और आराम से अपना जीवन

यापन कर रहे थे। बीच–बीच में उसके पिता जी का फोन आता था और वह यही कहते थे कि वह घर वापस आ जाए नहीं तो वह उसके पति को मरवा देंगे और या किसी झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। उसके परिवार से उसके दादा ससुर जी के पास भी फोन जाता था कि उनकी लड़की वापस भेजों नहीं तो उनके लड़के को मरवा देंगे। उसके पिता जी के इस तरीके के व्यवहार से उसने उनसे बात करना बंद कर दिया था फोन उठाना भी बंद कर दिया था। जनवरी 2018 के महीने में उसे गंभीर रूप से UTI इंफेक्शन हो गया था। जिससे मुझे 106 डिग्री बुखार चढ़ गया था। जिसका इलाज डा० वी०एल० प्रसाद से चल रहा था। अल्टरनेट डेज पर इंजेक्शन लग रहे थे। उसे 14 फरवरी 2018 को लास्ट इंजेक्शन लगा। 16 फरवरी 2018 को उसे इंजेक्शन लगना था उससे पहले ही 16 फरवरी 2018 को सुबह लगभग 6–6.30 के बीच उसके किराये के मकान का मैन गेट खटकने की आवाज आयी। चूंकि मैन गेट से सबसे करीब उसका कमरा था तो गेट खोलने वह गयी थी। जब वह मैन गेट पर पहुँची तो उसने देखा कि 5–6 व्यक्ति बाहर खड़े हैं। उसने पूछा आप कौन तो उन्होंने उसके पति का निक नाम पुकारा उससे पूछा अनुपम है उसने कहा हैं। तो वह बिना कुछ बोले उसके कमरे में सारे के सारे घुस आये। आरक्षी सिपाही सचेन्द्र सिंह चौहान ने उसके मोबाइल उठाये और उसका एक लेपटोप भी उठा लिया और अपने पास रख लिया जब उसके पति ने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आये हैं उसमें से प्रभारी निरीक्षक संजय राय बोले उन दोनों ने अंतर्जातीय विवाह किया है तो लड़की के पिता जी ने लड़के के खिलाफ कंपलेट की है कि लड़की को जबरदस्ती बहला फुसलाकर भगाकर लाया है। वहीं पर उसने उनकी बात का जवाब देते हुए बोला कि वह पूरे होशोहवाश में शिवम शुक्ला के साथ हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया है। और विवाह के बाद उसके परिवार वाले हरिद्वार आकर जो उन्होंने उसके व उसके पति के साथ मारपीट की और धमकी दी थी कि वह उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे और जान से मार देंगे। उस केस की फाइल/नकल भी दिखाये। तो संजय राय बोले शिवम शुक्ला को उनके साथ चलना होगा वहाँ इनके बयान होंगे। उसने संजय राय से बोला कि मैं भी साथ चलूंगी इनको अकेले नहीं जाने दूगी। काफी देर तक वह कहते रहे कि शिवम शुक्का को लेकर जाना है इन्हीं के बयान होंगे लेकिन फिर उसके बार–बार विनती करने पर उन्होंने कहा ठीक है आप भी साथ चले। एस०ओ०जी० संजय राय, सतेन्द्र सिंह चौहान, अनुज तिवारी, सुनील दुबे, अभिनव शर्मा और एक ड्राइवर था जिसका उसे नाम नहीं पता है। यह सारे मैन रोड पर इनकी टाटा सूमो

की गाड़ी खड़ी थी जिसका नंबर UP76G इतना ही मुझे याद है बाकी गाड़ी के फ्रंट गिलास पर ड्राइवर के ठीक सामने सी०ओ० लिखा था। उस गाड़ी में इन्होंने उन्हें बिठाया और भगत सिंह चौक होते हुए रानीपुर मोड़ स्थित होटल विनायक करीब 9–9.30 बजे के बीच लेकर गये। जब वह गाड़ी में बैठे तो संजय राय फोन पर जय हिंद सर बोलते हुए किसी से बात कर रहे थे और वह यह भी बोल रहे थे। कि दोनों को साथ लेकर आ रहे हैं। विनायक होटल पहुँचकर रिसेप्शन से पहले एक केबिन / गेस्ट रूम था जहाँ पर उसे उसके पति के साथ रोक कर अन्य आरक्षियों को भी वहीं रोककर संजय राय, अभिनव शर्मा के साथ रिसेप्शन पर गये वहां पर उनकी क्या बात हुई उसे नहीं पता। लगभग आधे घण्टे बाद उन्हें फस्ट फ्लोर पर आमने सामने दो कमरे मिले। एक कमरे में वह, उसके पति, सचेन्द्र सिंह चौहान और अनुज तिवारी थे। सामने वाले कमरे में संजय राय, सुनील दुबे, अभिनव शर्मा और ड्राइवर रूके जहाँ उन्होंने चाय नाश्ता किया और फ्रेश हुए। करीब 2 घण्टे बाद वहाँ से निकले और फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के लिए रवाना हुए। हरिद्वार से लगभग 50 किमी० की दूरी पर धामपुर रोड पर दानापानी होटल पर इन्होंने लंच करने के लिए गाड़ी रोकी। वहाँ लंच किया और जब चलने लगे तो गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने पानी की बोतल मंगायी। जो लड़का पानी की बोतल लेकर आया था जब सुनील दुबे ने उसे पैसे दिये तो उसके पास चेंज नहीं थे तब सुनील दुबे ने बोला कि अपनी टिप समझकर अपने पास रख ले। वह सभी लोग गाड़ी में बैठे और मुरादाबाद की ओर रवाना हुए। मुरादाबाद पहुँचकर संजय राय ने मुरादाबाद में गाड़ी रुकवाई। संजय राय और सुनील दुबे ने वहाँ पर वहां की फैमस मुरादाबादी दाल खायी। उसके बाद सभी गाड़ी में बैठकर फर्रुखाबाद के लिये रवाना हो गये। बीच–बीच में संजय राय गाड़ी रुकवाकर 5–10 मिनट के लिए फोन पर बात करते थे और जय हिंद सर कहकर बात करते थे और एक दो बार उसने सुना कि वह कहते थे कि दोनों को ला रहे हैं। मुरादाबाद से तो संजय राय ड्राइवर की बगल वाली सीट पर ही बैठे थे लेकिन बीच वाली सीट पर जो तीन सीटो वाली होती है उस पर संजय राय के पीछे अभिनव शर्मा बीच में उसके पति और ड्राइवर के पीछे सुनील दुबे बैठे थे। सबसे पीछे वाली सीट पर बायीं ओर अभिनव शर्मा की पीछे वाली सीट पर वह बैठी थी और उसके बगल में सचेन्द्र सिंह चौहान बैठे थे। उसके सामने सुनील दुबे के पीछे वाली सीट पर अनुज तिवारी बैठे थे। वह मुरादाबाद से रवाना हुए तो कुछ दूर जाकर उसे याद नहीं है कि कितनी दूरी पर लेकिन शाम का समय था अंधेरा होने लगा था क्योंकि वह बीमार थी उसका ट्रीटमेंट बीच में ही रह गया

था। उस दिन उसे इंजेक्शन लगवाना था नहीं लगा तो इंफेक्शन के कारण मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जब दर्द असहनीय हुआ तब उसने अपने पति से कहा कि उसके दर्द बहुत तेज हो रहा है उससे सहा नहीं जा रहा है। उसके पति ने संजय राय को बोला कि सर इसके पेट में दर्द हो रहा है कुछ दवा दिलवा दीजिए या इंजेक्शन लगवा दीजिए। तो संजय राय ने गाड़ी रूकवाकर वहीं किसी मेडिकल से इंजेक्शन लेकर उसके सीधे हाथ की बाजू पर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद सारे अपनी जगह पर बैठ गये और गाड़ी फर्रुखाबाद के लिए रवाना हुई। इंजेक्शन और दर्द के कारण कुछ देर बाद वह इंजेक्शन के नशे में सो गयी। थोड़ी देर बाद जब वह जागी और उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उसका सर सचेन्द्र सिंह चौहान के कंधे पर और उनका हाथ उसके कंधे पर था। उसने इसका विरोध करते हुए कहां कि यह क्या बदतमीजी है आप अपना हाथ हटाएं। वह अपने बल पर बैठ सकती है तो सचेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कोई नहीं वह हैं आपको देख लेंगे। उसके बार–बार मना करने पर कभी उसकी जाँघ पर हाथ रखते कभी उसकी पीठ पर हाथ रखते कभी उसका हाथ पकड़ते और कहते कि चिंता मत करो वह उसके साथ है। उनकी इस बदतमीजी को देखते हुए उसने कई बार विरोध करते हुए उनको मना किया और जब वह नहीं माना तो उसने अपने पति को बोला कि यह बदतमीजी कर रहे हैं उसके साथ। उसके पति ने यह सुनकर संजय राय को बोला कि सर ठीक है आप अपने साथ ले जा रहे हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करे, अभद्र व्यवहार करें और अश्लीलता करें। संजय राय ने सचेन्द्र सिंह चौहान को डांटने के बजाय उसके ही पति को उल्टा बोला और कहा कि वह लड़की भगाकर लाया है और मजे ले रहा है। गालियाँ दी उसके पति को और कहा कि थोड़ा उसे भी कर लेने दे। फिर उसके बोलने पर संजय राय ने सचेन्द्र सिंह चौहान को उसकी सीट से उतरवाकर उसके पति के बगल में और सुनील दुबे के बगल में बीच में ही बैठा दिया। उसने सचेन्द्र सिंह चौहान का विरोध किया इस बात से उसने चिढ़कर उसने उसके पति पर गाड़ी में ही रखे एक करेंट बॉक्स से जिसमें दो चिमटियां लगी हुई थी दोनों चिमटियों को उनकी दोनों हाथ की अंगुली पर लगाकर दो से तीन बार करंट दिया। उसके हाथ जोड़ने पर और उसके बार–बार विनती करने पर उन्होंने उसके पति को करंट देना बंद कर दिया और एक आद थप्पड़ भी मारा। फर्रुखाबाद पुलिस लाइन पहुँचने से पहले अभिनव शर्मा के पास बार–बार कॉल आ रहा था जिसको सुनकर सुनील दुबे और सचेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि भाई आज उसकी पहली मैरिज एनिवर्सरी

है। ऑफिस पहुँचते ही उसके घर चले जाना बाकी वह देख लेंगे इस बात से उसे यह समझ में आया कि 16 फरवरी 2018 को अभिनव शर्मा की फस्ट मैरिज एनिवर्सरी थी। गाड़ी पुलिस लाइन कार्यालय ऑफिस में पहुँची तो उसने देखा कि मैन गेट के बगल में ही सीधे हाथ पर दो कमरे थे। एक कमरा बंद था पहले वाला। दूसरे वाले कमरे में दो गेट थे। जिसका अंदर की तरफ वाला दूसरा गेट संजय राय ने खुलवाया और उसे गाड़ी से उतरवाकर कमरे में अंदर जाने को कहा। जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि घड़ी में 12 बज रहे हैं। उन्होंने उसे अंदर जाने के बाद वहाँ पर जिस महिला आरक्षी ने दरवाजा खोला उसका नाम मीरा था और एक महिला आरक्षी जो लेटी हुई थी उसका नाम विजय लक्ष्मी थी, जो कि 7–8 महीने की गर्भवती महिला थी। तो संजय राय ने विजय लक्ष्मी को बोला कि वह इस महिला को आप की अभिरक्षा में छोड़कर जा रहे हैं। तो विजय लक्ष्मी ने कहा कि आप सचान मैडम जो उनकी प्रमुख होंगी जिनका कैबिन जो पहला कमरा था वह था। तो संजय राय ने उनको फोन किया और कहा कि वह आपके महिला थाने में एक महिला छोड़कर जा रहे हैं। यह आपकी निगरानी में रहेंगी। उसे महिला थाना छोड़कर बाकी एस०ओ०जी० वाले सभी उसके पति के साथ गाड़ी में बैठे और जिस दरवाजे से वह कमरे के अंदर गयी थी उसके सामने बायीं ओर एक रोड जाती है गाड़ी उस रोड पर चली गयी। सारी रात वह रोती रही वहाँ पर मीरा महिला आरक्षी जो थी उसने मुझे सांत्वना दी की सब ठीक हो जाएगा। और उसे छोड़ दिया जाएगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिनांक 17–02–2018 को सुबह एस०ओ०जी० वाले महिला थाने में आये जब उसने उनसे अपने पति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी उनके बयान नहीं हुए है जब बयान हो जाएगे तब उन दोनों को यहाँ से हंसी खुशी विदा कर देंगे। दिनांक 17 फरवरी 2018 को वह पूरा दिन व पूरी रात इंतजार करती रही कि अब उसे छोड़ दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिनांक 18 फरवरी 2018 को दिन रविवार था तो एस०ओ०जी० आरक्षी सचेन्द्र सिंह चौहान उसके पास आये और उससे बोले देखो अब तुम्हारे पति को तो हमने जेल भेज दिया है अब तो वह काफी लंबा चला गया है 2–3 साल के लिए भूल जाओ उसे। उसने उनसे पूछा ऐसा क्या हुआ उनके साथ और आपने ऐसा क्या किया। तो उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया और बोले वह तो गया तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो। वह फर्रुखाबाद में एक कमरा ले ढुंगा वहाँ उसके साथ रहना। जो कमी होगी वह पूरी करेगा और उसके पति की भी कमी वह पूरी करेगा। उसके बाद जब उसने उनसे कहा कि अगर आप

उसके पति को उससे मिलवा देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। उन्होंने मना कर दिया। जब उसने उनसे कहा कि आप उसे छोड़ दीजिए। तो बस वह यही कह रहे थे कि वह है यहाँ उसका ध्यान रखने के लिए। उसके पास रहो। और भी बहुत सी अभद्र बाते कही जो आज वह न्यायालय में नहीं बता सकती। उसके बाद हर दिन एस०ओ०जी० वाले उसे महिला थाने में देखने तो आते थे लेकिन सचेन्द्र सिंह चौहान बार–बार उसे अपने साथ रहने की बात कहता। संजय राय से उसने विनती कि सर आप एक बार उसके पति से उसे मिलवा दीजिए। उसके बाद वह आपसे कुछ नही मागेगी। 23 फरवरी 2018 को दोपहर 1 बजे पंकज तोमर नाम का आरक्षी महिला थाना में आया और उससे बोला चलो उसके पति से उसको जेल में मिलवाकर लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि उससे एक प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक को लिखने के लिए कहा और कहा कि मिलाई की पर्ची लगने का वक्त खत्म हो गया है उसने उक्त प्रार्थना पत्र अपने पति से जेल में मिलने के लिए जेल अधीक्षक को लिखा जिसके साथ उसके आधार कार्ड की कॉपी भी संलग्न थी। पंकज तोमर उसे बाइक से जिला कारागार फतेहगढ़ लाये और उसे उसके पति से मिलवाया। जब वहाँ वह अपने पति से मिली तो उसे उसके पति द्वारा पता चला कि उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। वहाँ पर उसके पति ने उसे बताया कि जब उसे महिला थाना छोड़ने के बाद उसके पति को एस०ओ०जी० ऑफिस ले गये तो वहाँ पर पूरी रात रखा और 17 फरवरी 2018 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच कायमगंज थाने से द्रविण कुमार सिंह अपने साथियों के साथ आये और उसके पति को थाने ले जाने की बात कहने लगे। जब उसके पति ने कहा कि साहब रुकिये वह चप्पल पहन लूँ कि चप्पल उसके भागने पर टूट गयी अब गाड़ी में बैठ और चल। उसके पति को जबरन गाड़ी में बैठाकर द्रविण कुमार सिंह अपने साथियों के साथ कायमगंज थाने के लिए रवाना हुए तो शहर से गाड़ी न ले जाते हुए उन्होंने गाड़ी गाँव के रास्ते पर मोड़ ली। वहीं कहीं खेतों में गाड़ी रोककर उसके पति से कहा कि नीचे उतर और द्रविण कुमार सिंह ने उसके पति को मोबाइल दिया और अपने मोबाइल का पासवर्ड खोल जैसे ही उसिक पति ने अपने मोबाइल का पासवर्ड खोला वैसे ही उसिक पति के मोबाइल पर चन्द्र प्रकाश जी जो कि दादा ससुर है उनका कॉल आया उसके पति ने तुरंत फोन रिसीव किया और बोले कि बाबा उसे पुलिस ले आयी है। उसे बचा लो। इतने में द्रविण कुमार सिंह ने उसके पति का फोन छीना स्विच ऑफ किया और उसके पति को थप्पड़ मारा कि उसने सारा काम खराब कर दिया और गाड़ी में बैठाकर कायमगंज थाने ले गये।

जहाँ पर रात में उसके पति को कहा कि कोरे कागज पर साइन कर दो। तो उसके पति ने कोरे कागज पर साइन करने से मना कर दिया। तो वहाँ उनसे बोला गया कि उसकी पत्नी महिला थाना में बैठी है अगर तूने साइन नहीं किया तो उसकी पत्नी को स्मैक के केस में पाउडर लगाकर जेल भेज देंगे। उसके पति यह सुनकर डर गये और उन्होंने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद मिलाई का समय खत्म हो गया था। वह जैसे ही निकलना उसकी पैरवी करना। जेल से निकलने के बाद पंकज तोमर उसे महिला थाना वापस लेकर आये। जहाँ पर उसने देखा उसके पिता जी के रिश्तेदार वहाँ पर पहले से मौजूद थे जो कि कायमगंज तहसील में फोटो कॉपी का काम करते हैं और उनका नाम ज्ञानचन्द्र वर्मा है उनको गिन्नी कहकर बुलाते हैं। वहाँ पर वह मिले और उससे कहा कि उसके मायके परिवार वालों ने उसके साथ बहुत गलत किया है उसने उनसे रिश्ता खत्म कर दिया है। वह उसे अपनी लड़की समझकर यहाँ से लेने आया है। उसके साथ चले वह उसे कहीं सुरक्षित जगह भेज देगा लेकिन उसने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वह उनके साथ नहीं गयी। फिर एस०ओ०जी० वालों ने उससे एक पत्र लिखवाया और जो ज्ञानचन्द्र वर्मा उर्फ गिन्नी के साथ एक फोटो भी ली। उसने ज्ञान चन्द्र वर्मा के साथ जाने से मना कर दिया तो उक्त पत्र को उसने अपने हाथों से स्वयं ही फाड़ दिया। समय निकलता गया। दिनांक 25 फरवरी 2018 को समय दोपहर 3.30 से 4 के बीच आरक्षी अनुज तिवारी उसके पास आये और उससे बोले की उसे वह छोड़ रहे हैं। वह उसे गाड़ी से बस स्टैण्ड तक छोड़ रहा है। हरिद्वार की बस में बैठा दूंगा हरिद्वार चली जाना। दिनांक 16 फरवरी 2018 से 25 फरवरी 2018 तक उससे एस०ओ०जी० आरक्षी सचिन चौहान ने अभद्र व्यवहार करने के साथ–साथ उसके मोबाइल नंबर लिये और उससे कहा कि वह जब भी फोन करे या मैसेज करे उसे उसका उत्तर देना। जब अनुज तिवारी उसे गाड़ी में बैठाकर बस स्टैण्ड फर्रुखाबाद ले जा रहे थे। उसने देखा कि उनको नई गाड़ी मिली है जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी तो अनुज तिवारी ने बताया कि उसके पति जिस मुकदमा में जेल में है। उसमें उसे यह गाड़ी इनाम स्वरूप मिली है। अनुज तिवारी ने उसे जनरथ बस में बैठाया और उस बस का टिकट भी अनुज तिवारी द्वारा क्रय कराया गया। जब वह महिला थाना में थी तब 18 फरवरी 2018 को शिफ्ट ड्यूटी चेंज होने के बाद रतनेश नाम की महिला आरक्षी की ड्यूटी लगी। जिसके साथ 7–8 माह की बच्ची थी और दिन में ड्यूटी पर शालिनी नाम की महिला आरक्षी थी जो कि उनकी हैड थी। जब वह हरिद्वार आयी तो सचेन्द्र सिंह चौहान उसे न दिन देखते और न

रात देखते और न समय देखते किसी भी वक्त फोन करके टेक्स्ट मैसेज करके, व्हाट्सअप पर गंदे अभद्र व अश्लील मैसेज करके उसे परेशान करते रहे। पहले तो उसने डर की वजह से इनकी बात का जवाब दिया कि कहीं यह उसे मेरे पति की तरह हरिद्वार से ले जाकर किसी झूठे मुकदमे में न फंसा दें। मैसेज की कॉपी और कॉल की डिटेल्स आज वह न्यायालय में दाखिल कर रही है। हरिद्वार आने के बाद उसने अपने पति की बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करने के लिए हरिद्वार की पुलिस से मदद मांगने की सोची और वह हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास गयी और उसने लिखित में उनको कॉल लोकेशन निकलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि उसके पति को हरिद्वार से ले जाकर कायमगंज में झूठे मुकदमे में फंसा दिया है। कृपया इसमें आप उसकी कुछ मदद करें। उसने जो प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को दिया था उसकी मूल प्रति आज वह न्यायालय में दाखिल कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उसे एस०ओ०जी० ऑफिस अनिल बिष्ट के पास हरिद्वार भेजा। जब उसने उनसे कहा कि आप उसकी मदद करिए और उसे विनायक होटल के दिनांक 16 फरवरी 2018 के सीसीटीवी फुटेज और रिसेप्शन पर एण्ट्री की डिटेल्स उसे प्राप्त करवाये। एस०ओ०जी० प्रभारी अनिल बिष्ट ने विनायक होटल में बात की उसे होटल में भेजा। जब वह वहाँ गयी तो होटल के मालिक ने उसे डिटेल्स देने के लिए मना कर दिया और कहा कि है नहीं। तो उसने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के बैकअप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते से ज्यादा का बैकअप नहीं है। वह अपने कमरे पर वापस आ गयी। कमरे पर वापस आने के बाद जब उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो उसने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आनलाइन शिकायत दर्ज करायी। जिनकी शिकायत संख्या की प्रति आज वह न्यायालय में दाखिल कर रही हूँ। उसने कई प्रार्थना पत्र भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, महिला आयोग राष्ट्रीय और राजकीय और अन्य विभाग न्यूज चैनलों में प्रेषित किये। जिनकी प्रति भी वह आज न्यायालय में दाखिल कर रही है। उसने श्री राजबब्बर जी जो कि कांग्रेस के सांसद थे उनसे उसने फोन पर बात की और अपनी आपबीती बताई। तो उन्होंने उसे अपने कार्यालय का पता दिया और उससे कहा कि आप अपना प्रार्थना पत्र उसके इस पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर दें। जब उसने सांसद जी को अपना प्रार्थना पत्र भेजा तो उसके सापेक्ष उन्होंने उस प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए संबंधित राज्य व संबंधित थाने में उसको भेज दिया। जब उसके इस प्रार्थना पत्र पर थाना कायमगंज से उसे जवाब आया तो उसमें कायमगंज थाने के अधिकारी

द्वारा रिपोर्ट में यह कथन अंकित कराया गया कि "दिनांक 17 फरवरी 2018 को शिकायतकर्ता अलीशा एस०ओ०जी० ऑफिस फतेहगढ़ आयी थी और अपने पति को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की बात कह रही थी और उनसे नंबर इसलिए लिये गये थे ताकि इस मुकदमे में फरार अभियुक्त लालू यादव की गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ करने हेतु लिये गये और जो आरोप उसके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में लिखाये गये थे उसकी उत्तर की कॉपी आज न्यायालय में दाखिल की जा रही है। एक तरफ इस मुकदमे में जितने भी पुलिस वालों के बयान हुए उसमें उन्होंने कहा और आरोप पत्र में भी यही लिखा हुआ है कि दिनांक 17 फरवरी 2018 को उसके पति को रात 10.45 मिनट पर अताईपुर मोड से गिरफ्तार किया गया तो क्या वह इनके आईजीआरएस की कॉपी के उत्तर के० कहे अनुसार अपने पति की गिरफ्तारी से पहले ही 17 फरवरी 2018 को में एस०ओ०जी० जाकर अपने पति की गिरफ्तारी की बात कहने लगी और इस मुकदमे में गिरफ्तारी ही रात के 10.45 मिनट पर हुई तो लालू यादव के फरार होने की बात पहले से कहाँ आ गयी जिसके संबंध में इन्होंने उसका नंबर लिया और उसे अपने विश्वास में लिया। अतः उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उसके दादा ससुर जी द्वारा भी एस०पी० त्रिभुवन सिंह को एक प्रार्थना पत्र वह खुद देकर गये थे, जिसके जवाब में एस०पी० त्रिभुवन सिंह ने उसके 82 वर्ष के दादा ससुर जी को कहा तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। उसे शर्म नहीं आती तुम यहाँ से चले जाओ। जिसकी कॉपी आज न्यायालय में दाखिल कर रही हूँ। अभियोजन द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी। जिरह में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

मैने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

<u>अभियोजन का तर्क</u>

18– अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा वादी की सास साधना गौड के घर में घुसकर डकैती डालने एवं डकैती के दौरान साधना गौड की हत्या कर दिए जाने का तथ्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से पूर्ण रूप से साबित होता है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नही है। अभियुक्तगण विमलेश, नेपाल, रवि उपाध्याय एवं शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला की गिरफ्तारी के समय उनके पास से डकैती के

दौरान साधना गौड का लूटा गया जेवर बरामद किया गया है। विमलेश यादव के घर से घटना के दौरान साधना गौड के मुंह में लगाया गया टेप भी बरामद हुआ है। नेपाली एवं विमलेश साधना गौड के यहां किराएदार थे। अभियुक्तगण द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ साधना गौड के घर में आंगन के लोहे के जाल को खोलकर घुसकर डकैती एवं हत्या कारित की गयी तथा उसी रास्ते से घटना कर फरार हो गए। इसी कारण साधना गौड के घर का दरवाजा अन्दर से बन्द था। नेपाली साधना गौड की खेती आदि की देखभाल करता था उसे साधना गौड के क्रिया कलाप एवं सम्पत्ति की पूर्ण जानकारी थी जिसका फायदा उठाकर नेपाली द्वारा अपनी पत्नी एवं अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर डकैती एवं हत्या की घटना को अन्जाम दिया गया। अभियोजन अपने कथानक को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

<u>बचाव पक्ष का तर्क</u>

19– बचाव पक्ष की तरफ से अभियुक्तगण के अलग अलग अधिवक्ताओ द्वारा एक समान तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण की बरामदगी पूर्ण रूप से संदिग्ध है। विमलेश के घर से साधना गौड के मुंह पर लगा हुआ टेप बरामद किया जाना दर्शाया गया है किन्तु पंचनामे , तहरीर एवं पोस्टमार्टम में इस तथ्य का उल्लेख नही है कि मृतका साधना गौड के मुंह पर किसी प्रकार का टेप चिपका हुआ था। विमलेश से बरामदगी के समय महिला का० उपस्थित रहने के सम्बन्ध में पी०डब्लू० 1, 2 एवं पुलिस के साक्षियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। अन्य अभियुक्तगण नेपाली यादव , रवि उपाध्याय एवं शिवम के पास से दर्शायी गयी बरामदगी पूर्ण रूप से संदिग्ध है। पी०डब्लू० 1, 2 द्वारा पुलिस के बुलाए जाने पर बरामदगी स्थल पर पहुचना तथा स्वंय के समक्ष अभियुक्तगण का आना , उनकी जामा तलाशी लिया जाना व उनके पास से लूटा गया सामान बरामद किया जाना एवं उनकी गिरफ्तारी किया जाना कहा गया है, किन्तु फर्द बरामदगी में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तगण के पास से बरामदगी होने के पश्चात सुचना पर पी०डब्लू० 1, 2 गिरफ्तारी स्थल पर आ गए तथा वहां पर बरामदशुदा माल की शिनाख्त की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस माल की लूटा जाना बताया गया है उक्त् माल की बरामदगी अभियुक्तगण से नही की गयी है, अभियुक्तगण से बरामद किया गया माल तहरीर में अंकित

किए गए माल से पूर्ण रूप से भिन्न है। बचाव पक्ष द्वारा इस तथ्य पर अत्यधिक बल दिया गया है कि पुलिस द्वारा घटना का खुलासा करने के उददेश्य से फर्जी रूप से अभियुक्तगण के पास से बरामदगी दर्शाकर उनका चालान कर दिया, क्योंकि पुलिस डकैती एवं हत्या करने वाले असली अभियुक्तगण के बारे में जानकारी प्राप्त नही कर पा रही थी। पुलिस पार्टी के बरामदगी स्थल पर पहुचने के समय में साक्षियों द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। बरामदगी के साक्षीगण बरामदगी स्थल की स्थिति के सम्बन्ध में जिरह के दौरान पूछे जाने पर जबाव नही दे सके। बचाव पक्ष द्वारा इस तर्क पर भी अत्यधिक बल दिया गया है कि घटना के खुलासे हेतु अभिषेक अग्रवाल के घर में लगे सी०सी०टी०वी फुटेज को देखा जाना विवेचक द्वारा बताया गया है किन्तु उक्त् सी०सी०टी०वी कैमरे के फुटेज को न तो विवेचना में शामिल किया गया तथा न ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वादी को टेलीफोन पर सूचना देने वाले मोती लाल का बयान विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान नही लिया गया तथा न ही न्यायालय में साक्ष्य के दौरान उसे उपस्थित किया गया है। विमलेश से बरामदगी के समय मकान के अन्य स्वतंत्र किराएदार विवेक गुप्ता एवं उनकी पत्नी अथवा आस पडोस के अन्य किसी व्यक्ति को बरामदगी की कार्यवाही में शामिल नही किया गया है। अभियुक्त लालू उर्फ आशीष के पास से किसी प्रकार की बरामदगी नही की गयी है। सभी साक्षीगण हितवद्ध साक्षी है। स्वतंत्र साक्षीगण को न्यायालय में साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नही किया गया है। घटना के दिन मृतका के घर दूध देने आने वाले साक्षी उमंग सिंह को न्यायालय में परीक्षित नही कराया गया है। बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना के महत्वपूर्ण साक्षी मोती लाल, उमंग सिंह तथा किराएदार विवेक एवं उसकी पत्नी को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नही किया गया है, न ही अभिषेक अग्रवाल के घर पर लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज जिसे पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान स्वंय कब्जे में लिया गया था, को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आधारो पर बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक एवं अभियोजन द्वारा घटना कारित करने वाले वास्तविक अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया गया है तथा फर्जी बरामदगी दर्शाकर प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्तगण को झूठा मामलें में फसाकर घटना का झूठा खुलासा कर दिया गया ।अभियुक्त शिवम के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उसे हरिद्वार से उसकी पत्नी के साथ पकड कर लाया गया। कुछ दिन पुलिस लाइन फतेहगढ में रखा गया तथा बाद में चालान कर दिया।

बचाव पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के जवाव में अभियोजन का तर्क

20– बचाव पक्ष द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्को के जबाव में अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मोती लाल की सूचना पर वादी मुकदमा कायमगंज अपनी सास के घर पहुचा तथा वहां पर अपनी सास को मृत पाया। वादी को सूचना देने वाले मोती लाल को न्यायालय में पेश न किए जाने से अभियुक्तगण कोई लाभ प्राप्त नही होता है क्योकि सूचना पाकर वादी के मृतका के घर पहुचने से ही प्रथम श्रखला पूर्ण हो जाती है। विवेचक द्वारा शव बरामद होने के कुछ समय बाद नक्शानजरी तैयार किया गया जिसमें संकेतक के क्रम सं० 1 में उसके मुंह पर टेप लगा होना स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। पंचायत नामा एवं पोस्टमार्टम में टेप का जिक्र न होने से अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव नही पडता है क्योंकि इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि मृतक के शव में मृत्यु पश्चात आयी अकडन के कारण टेप खुल गया हो। पी०डब्लू० 1 द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि विमलेश से बरामदगी के समय महिला पुलिस कर्मी कमरे में ही थी तथा उसके सामने ही बरामदगी की गयी है। अतः बरामदगी के समय महिला पुलिस कर्मी के उपस्थित रहने अथवा न रहने के सम्बन्ध में साक्षियों के साक्ष्य में आए सूक्ष्म विरोधाभासों के कारण अभियुक्ता विमलेश के पास से हुयी बरामदगी को सिरे से नकारा नही जा सकता है। दूध देने वाले साक्षी उमंग सिंह द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण अभियोजन द्वारा उसका साक्ष्य न्यायालय में अंकित नही कराया गया है। उपरोक्त साक्षी का साक्ष्य अंकित न होने से अभियोजन कथानक पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नही पडता है। पी०डब्लू० 1,2 के हस्ताक्षर अभियुक्तगण नेपाल, रवि उपाध्याय एवं शिवम से हुयी बरामदगी की फर्द में कराए गए है जिससे स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू० 1,2 बरामदगी के समय घटना स्थल पर उपस्थित थे तथा उनके समक्ष ही बरामदगी की गयी थी। विवेचक द्वारा सी०सी०टी०वी फुटेज को विवेचना में शामिल न किया जाना विवेचक द्वारा की गयी लापरवाही की श्रेणी में आता है तथा उक्त लापरवाही का लाभ बचाव पक्ष को प्रदान नही किया जा सकता। आशीष उर्फ लालू नेपाली के साढू का लडका है तथा अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षियों द्वारा आशीष उर्फ लालू के घटना में शामिल होने का स्पष्ट कथन किया गया है । लालू के लम्बे समय तक फरार रहने के कारण तथा बाद म न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिए जाने के कारण उसके पास से कोई बरामदगी नही हो सकी है, बरामदगी न होने के आधार

पर यह नही कहा जा सकता है कि आशीष उर्फ लालू घटना में शामिल नही था। किराएदार विवेक मकान के पिछले हिस्से में रहता है उसके जाने जाने का रास्ता भी अलग है इस कारण विवेक को घटना की जानकारी न हो पाना स्वभाविक है। अभियुक्तगण से बरामद किये गये लूटे गए जेवरातों की पहचान मृतका की पुत्रियों द्वारा की गयी है। अभियुक्तगण के पास से अत्यधिक मात्रा में जेवरात बरामद किए गए है जिस कारण यह नही कहा जा सकता है कि उक्त माल को पुलिस द्वारा अपने पास से लगाकर फर्जी बरामदगी दर्शा दी गयी है। अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के माध्यम से अपने कथानक को साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण

21- प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है । हत्या एवं लूटपाट की घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नही है । अभियोजन का संपूर्ण कथानक परिस्थितिजन साक्ष्यों पर आधारित है । न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु है कि अभियोजन विचारण के दौरान प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोपो को साबित करने में सफल रहा है अथवा नही। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये परिस्थितिजन साक्ष्यों का विश्लेषण क्रमवार किया जाना आवश्यक है ।

22- वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 डा० जितेन्द्र सोलंकी द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क 1 में इस तथ्य पर स्पष्ट अंकन है कि सूचना मिलने पर जब वह दिनांक 14.02.18 को अपनी सास साधना गौड के घर पर अपनी पत्नी प्रिया गौड के साथ पहुंचा तो कमरे के अन्दर अपने सास साधना गौड को मृत अवस्था में पाया तथा सारा सामान बिखरा हुआ एवं अलमारी खुली हुई पायी । तहरीर में इस तथ्या का भी अंकन किया गया है कि मृतका साधना गौड के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 द्वारा स्वंय की मुख्य परीक्षा में तहरीर में किये गये उपरोक्त कथन के समान ही कथन किये गये है । मृतका साधना गौड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व आठ चोटे पाया जाना अंकित है तथा इस तथ्य का भी अंकन है कि मृतका की मृत्यु मृत्यु पूर्व नाक व मुंह बंद करने से सांस अवरूद्ध होने के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के हाथ पैर

रस्सी से बंधे हुए तथा मुंह में कपडा ठूसा हुआ पाया गया था। मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व आयी चोटो तथा उसके मृत्यु के कारण के संबंध मे पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क 7 में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर पी०डब्लू० 5 योगेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में की गयी थी। पोस्टमार्टम में मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम करने के 2-3 दिन पूर्व होना बताया गया है तथा इस तथ्य की पुष्टि पी०डब्लू० 5 द्वारा न्यायालय मे साक्ष्य के दौरान करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि मृतका साधना गौड़ की हत्या दिनांक 12.02.18 दोपहर दो बजे होना संभंव है । मृतका के पंचायतनामा प्रदर्श क 9 में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि मृतका के हाथ पैर रस्सी से बंधे थे तथा मुंह में कपडा ठूसा था जिस कराण उसकी दम घुटने से मृत्यु होना प्रतीत होता है । विवेचक द्वारा घटना स्थल के तैयार किये गये नक्शा नजरी प्रदर्श क 8 के संकेत 1 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मृतका का शव औंधे मुंह पडा हुआ था, हाथ एवं पैर बंधे हुए थे , मुंह के अन्दर कपडा ठूसा तथा ऊपर से टैप लगा था , शरीर पर जगह जगह नीलगू निशान थे, शव फूला हुआ था तथा उससे दुर्गन्ध आ रही थी। पंचायतनामा की कार्यवाही करने वाले एवं नक्शा नजरी तैयार करने वाले साक्षी विवेचक हरिओम प्रकाश त्रिपाठी पी०डब्लू० 7 द्वारा उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि न्यायालय में साक्ष्य के दौरान की गयी । उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन यह तथ्य साबित करने मे पूर्ण रुप से सफल रहा है कि दिनांक 12.02.18 की दोपहर को मृतका साधना गौड के घर में बदमाशो द्वारा लूटपाट की गयी तथा लूटपाट के दौरान मृतका की हत्या उसके घर के अन्दर मारपीट कर एवं उसके मुंह में कपडा ठूसकर कर दी गयी ।

23- अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 17.02.18 को मृतका साधना गौड के घर के प्रथम मंजिल के किरायेदार नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव के घर से तलाशी के दौरान उसकी पत्नी विमलेश यादव द्वारा घटना के दौरान लूटी गयी हाफ करधनी चांदी मिक्स धातु की, एक सोने की चैन, दो सोने के कडे , बिस्तर के गद्दे के नीचे से निकाल कर दिये गये । साथ ही साथ घटना के दौरान मृतका साधना गौड के मुंह में लगाये गये टेप के शेष भाग को भी बरामद कराया गया।उक्त बरामदगी मृतका के घर पर उपस्थित मृतका के दामाद डा०जितेन्द्र सोलंकी एवं मृतका की पुत्रियों प्रिया गौड एवं प्रियंका शर्मा के समक्ष की गयी तथा तीनो ही साक्षियों द्वारा तैयार किये गये फर्द प्रदर्श क 2 पर स्वंय के हस्ताक्षर किये गये है एवं साक्ष्य के दौरान हस्ताक्षर किये जाने की पुष्टि भी की गयी है ।

पी०डब्लू० 1 डा०जितेन्द्र सोलंकी एवं पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान यह स्पष्ट कथन किया गया है कि दिनांक 17.02.18 को रात 8:25 बजे पुलिस उनके घर पर आयी थी तथा उसके किरायेदार नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव के घर के अन्दर जाकर तलाशी ली गयी थी। तलाशी के दौरान नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव की पत्नी विमलेश द्वारा उनके सामने चांदी की करधनी ,एक सोने की चैन, दो सोने के कंगन तथा एक माइक्रोफोरश टेप दाहिने हाथ वाले कमरे के बैड के गद्दे के नीचे से निकाल कर दिया था तथा यह भी बताया था कि इसी टेप से उनकी सास मृतका साधना गौड का मुंह बंद किया गया था। प्रथम विवेचक पी०डब्लू० 6 हरिओम प्रकाश त्रिपाठी तथा द्वितीय विवेचक पी०डब्लू० 3 द्रविड़ कुमार सिंह द्वारा भी न्यायालय में साक्ष्य के दौरान इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि दिनांक 17.02.18 को स्वाट टीम प्रभारी संजयकुमार की मदद से विमलेश यादव पत्नी नेपाली उर्फ प्रवेश यादव के घर से लूटा गया माल बरामद किया गया था तथा मौके पर ही फर्द तैयार कर वहां पर मौजूद प्रियंका शर्मा , प्रिया गौड एवं जितेन्द्र सोलंकी तथा हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर करवाये गये थे तथा फर्द की कार्बन कापी विमलेश को देकर उसके भी हस्ताक्षर करवाये गये थे। विवेचक पी०डब्लू० 3 द्रविड कुमार द्वारा यह भी स्पष्ट कथन किया गया है कि पूंछतांछ के दौरान विमलेश यादव द्वारा घटना का खुलासा करते हुए लूट पाट एवं हत्या में अपने पति नेपाली उर्फ प्रवेश यादव , बहन के लडके लालू उर्फ आशीष यादव , रवि उपाध्याय व शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला का शामिल होना बताया गया था। फर्द बरामदगी प्रदर्श क 2 में इस तथ्य का स्पष्ट अंकन किया गया है कि मौके पर मौजूद मृतका की पुत्रियो एवं वादी मुकदमा द्वारा विमलेश यादव के पास से बरामद जेवरों की पहचान करते हुए उन्हें अपनी माता साधना गौड का होना बताया गया है । पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान विमलेश यादव के पास से बरामद गहनों की पहचान किये जाने की पुष्टि की गयी है ।

24- बचाव पक्ष की तरफ से इस तर्क पर अत्यधिक बल दिया गया है कि मृतका साधना गौड के पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तथ्य का अंकन नही है कि इसके मुंह पर किसी प्रकार का टेप चिका हुआ था। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में प्रयोग किया गया टेप ही विमलेश यादव के घर से बरामद किया गया था अभियोजन यह साबित नही कर सका है कि घटना के दौरान मृतका साधना गौड के मुंह पर किसी प्रकार का टेप चिपका था, ऐसे में विमलेश यादव के पास से दर्शायी गयी बरामदगी पूर्ण रुप से

संदिग्ध हो जाती है । उपरोक्त तर्क के जवाव में अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचक द्वारा बनाये गये नक्शा नजरी के संकेत 1 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि मृतका के मुंह पर कपडा ठुसा हुआ है एवं ऊपर से टेप चिपका हुआ है । पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के मुंह पर टेप चिपका हुआ न पाये जाने के संबंध में अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृत्यु के पश्चात मृतका के शरीर पर आयी अकड़न के कारण उक्त टेप निकल गया होगा जिस कारण पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामा के दौरान मुंह मे टेप चिपका हुआ नही पाया गया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्कों के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा दिनांक 15.02.18 को तैयार किये गये नक्शा नजरी के संकेत 1 में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है कि मृतका साधना गौड के मुंह के अन्दर कपडा ठूसा है एवं ऊपर से टेप लगा हुआ है । इस संभावना से इंकार नही किया जा सकता है कि लाश को पोस्टमार्टम हेतु ले जाने के दौरान उक्त टेप उसके मुंह से निकल गया हो । पंचायतनामा के दौरान टेप का जिक्र न किया जाना एक त्रुटि हो सकती है तथा मात्र इस आधार पर यह नही कहा जा सकता है कि मृतका के मुंह में टेप नही चिपका था। बचाव पक्ष की तरफ से पंचायतनामा की कार्यवाही करने वाले विवेचक हरिओम प्रकाश त्रिपाठी पी०डब्लू० 6 एवं पंचायतनामा के दौरान मौजूद वादी मुकदमा जितेन्द्र सोलंकी पी०डब्लू० 1 से जिरह के दौरान मृतका के मुंह पर टेप न लगे होने के संबंध में स्पष्ट प्रश्न नही पूंछे गये है । उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि नक्शा नजरी में मृतका के मुंह पर टेप चिपके होने के अंकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लूट पाट के दौरान बदमाशो द्वारा मृतका के मुंह में कपडा ठूस कर ऊपर से टेप चिपकाया गया था, तथा उसी टेप का शेष भाग प्रथम तल के किरायेदार नेपाली यादव के घर से बरामद उसकी पत्नी विमलेश द्वारा बरामद कराया गया था।

25- बचाव पक्ष की तरफ से इस तर्क पर भी अत्यधिक बल दिया गया है कि विमलेश यादव के घर से बरामदगी के समय अन्य किरायेदार विवेक तथा उसकी पत्नी मौजूद थे किन्तु उनको बरामदगी का साक्षी विवेचक द्वारा जानबूझकर नही बनाया गया । विवेक एवं उसकी पत्नी की बरामदगी के दौरान मौजूदगी को पी०डब्लू० 1 एवं 2 द्वारा स्वंय की जिरह में स्वीकार किया गया है । उपरोक्त तर्कों के आधार पर बचाव पक्ष द्वारा बरादमगी को संदिग्ध बताया गया है । बचाव पक्ष द्वारा बरामदगी को संदिग्ध होने के संबंध में दिये

गये उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क 2 में बरामदगी के दौरान अन्य किरायेदार विवेक एवं उसकी पत्नी के उपस्थित रहने का जिक्र नही है न ही उनके हस्ताक्षर फर्द में मौजूद है । फर्द बरामदगी के अनुसार उक्त बरामदगी वादी जितेन्द्र सोलंकी , मृतका की पुत्रियों प्रिंयका शर्मा व प्रिया गौड के समक्ष की गयी है तथा उक्त तीनो ही साक्षियों के हस्ताक्षर फर्द में मौजूद है । वादी मुकदमा जितेन्द्र सोलंकी पी०डब्लू० 1 एवं प्रियंका शर्मा पी०डब्लू० 2 द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान बरामदगी के समय उपस्थित रहने , स्वंय के समक्ष बरामदगी होने , बरामदगी के पश्चात माल की पहचान किये जाने एवं उक्त माल को पुलिस द्वारा मौके पर ही उनके समक्ष सील किये जाने का विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया है । बरामदगी कार्यवाही के दौरान अन्य किरायेदार विवेक एवं उसकी पत्नी तथा पडोस के किसी अन्य व्यक्ति को शामिल न किये जाने के आधार मात्र पर बरामदगी की कार्यवाही को संदिग्ध नही माना जा सकता है ।

26- बचाव पक्ष की तरफ से बरामदगी के दौरान महिला कास्टेबल के उपस्थित न रहने तथा उक्त के संबंध में पी०डब्लू० 1 व 2 द्वारा स्वंय की जिरह में स्पष्ट कथन किये जाने पर अत्यधिक बल दिया गया है । बचाव पक्ष का तर्क है कि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान महिला कास्टेबल उपस्थित नही थी फिर भी फर्द में महिला कास्टेबल 56 श्यामवती को उपस्थित होना दर्शाया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि फर्द मौके पर न बनाकर बाद मे तैयार की गयी है । उपरोक्त तर्कों के संबंध में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क 2 के अनुसार बरामदगी की सम्पूर्ण कार्यवाही में महिला कास्टेबल 56 श्यामवती शामिल थी। पी०डब्लू० 1 द्वारा स्वंय की जिरह के पृष्ठ सं० 22 में यह कथन किया गया है कि पुलिस टीम महिला पुलिस नही थी आधे घन्टे बाद आयी थी। महिला पुलिस के आने के पूर्व ही बरामदगी हो गयी थी। पी०डब्लू० 3 विवेचक द्रविड़ कुमार सिंह द्वारा स्वंय की जिरह में यह स्पष्ट कहा गया है कि गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्यवाही में महिला कास्टेबल शामिल थी इस समय उसका नाम याद नही है ।अन्य विवेचक पी०डब्लू० 6 हरिओम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा भी यह स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस टीम में एक महिला कास्टेबल भी तथा उसी के द्वारा विमलेश की जामा तलाशी ली गयी थी। पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा द्वारा भी बरामदगी के समय महिला कास्टेबल के होने के तथ्य की पुष्टि स्वंय के साक्ष्य मे की गयी है । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि फर्द

बरामदगी प्रदर्श क 2,पी०डब्लू० 2 प्रिंयका शर्मा , विवेचक द्रविड़ कुमार पी०डब्लू० 3 एवं अन्य विवेचक हरिओम प्रकाश त्रिपाठी पी०डब्लू 6 द्वारा न्यायालय मे दिये गये साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि विमलेश से हुई बरामदगी के समय महिला कास्टेबल पुलिस टीम में शामिल थी। पी०डब्लू० 1 द्वारा महिला कास्टेबल के आधे घन्टे बाद आने के संबंध मे किये गये कथन के आधार पर अन्य साक्षियों द्वारा दिये साक्ष्य को अविश्वशनीय नही माना जा सकता। यदि एक बार के लिये यह मान भी लिया जाये कि बरामदगी के दौरान महिला कास्टेबल उपस्थित नही थी, वह आधे घन्टे बाद बरामदगी स्थल पर आयी तथा बाद में उसके द्वारा फर्द बरामदगी तैयार होने के पश्चात फर्द पर स्वंय के हस्ताक्षर किये गये थे, तब भी मात्र यह ही साबित होता है कि बरामदगी महिला कास्टेबल के समक्ष नही हुई थी, किन्तु यह स्पष्ट हो जाता है कि महिला कास्टेबल फर्द तैयार होने के समय वहां पर उपस्थित थी तथा वहां पर स्वंय उसके द्वारा फर्द पर हस्ताक्षर किये गये थे। महिला कास्टेबल के बरामदगी के समय उपस्थित न होने के मात्र के आधार पर अन्य साक्षियों के द्वारा बरामदगी के संबंध मे दिये गये विश्वसनीय साक्ष्य को सिरे से नकारा नही जा सकता है तथा मात्र इस आधार पर विमलेश से की गयी बरामदगी की संदिघ्ध नहीं माना जा सकता है।

27- पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, विवेचक पी०डब्लू० 3 एवं पी०डब्लू06 द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान कथन किया गया है कि दिनांक 17.02.18 को मुखविर की सूचना के आधार पर रात 10:45 बजे अताईपुर जदीद मोड़ पर अभियुक्तगण नेपाली यादव, रवि उपाध्याय़ एवं शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला को मोटरसाइकिल से आते हुए गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी के दौरान नेपाली यादव के पास से एक सोने की करधनी, 500 रुपये के 24 नोट कुल 12000/-रु० तथा उसकी मोटरसाइकिल UP76W5054 बरामद की गयी। अभियुक्त रवि उपाध्याय की जामा तलाशी में उसके दाहिने हाथ में लिये हुए झोले से 4 सोने की चूडियां एक जोडी झुमकी ,एक सोने की चैन, व एक पुराना शंख व वाकमैन तथा 500 के 10 नोट कुल 5000/-रु० बरामद किये गये। अभियुक्त शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला की जामा तलाशी में पहनी हुई जैकेट की जेब से 1 सोने की चैन गोल दार दाने वाली, 1 प्लेन सोने की चैन , एक मंलगसूत्र सोने का कलशनुमा , एक सोने का सिक्का , एक जोडी टाप्स चैन सहित , चांदी का चाबी नुमा गुच्छा , एक गिन्नी ,सोने के दाने , 18 चांदी के सिक्के , दो हजार के 1 नोट , 500 के दो नोट, 20 रु० के 100 नोट एवं 10 रु० के 400 नोट कुल 9000/-रु० बरामद किये ।बरामद माल की शिनाख्त मृतका साधना गौड की पुत्रियों प्रियंका

शर्मा एवं प्रिया गौड द्वारा मौके पर की गयी । तीनो अभियुक्तगण द्वारा स्वंय का जुर्म स्वीकार करते हुए बरामद माल को मृतका साधना गौड के घर में लूटपाट एवं हत्या कर लूटा जाना बताया गया । फर्द बरामदगी प्रदर्श क 3 मौके पर द्रविड़ कुमार सिंह द्वारा तैयार की गयी, तथा उसमें पुलिस के हमराहियान के साथ साथ मौके पर उपस्थित प्रिया गौड एवं प्रियंका शर्मा व जितेन्द्र सोलंकी के हस्ताक्षर कराये गये । फर्द बरामदगी पर अभियुक्तगण रवि उपाध्याय , नेपाली उर्फ प्रवेश कुमार व शिवम शुक्ला के हस्ताक्षर कराकर फर्द की कार्बन कापी सभी की सहमति से अभियुक्त रवि उपाध्याय को दी गयी ।

28- बचाव पक्ष द्वारा इस तर्क पर अधिक बल दिया गया है कि फर्द में यह उल्लेख किया गया है कि दौरान बरामदगी अभियुक्तो के पकडे जाने की सूचना पाकर मृतका साधना गौड की पुत्रियां प्रियंका शर्मा व प्रिया गौड तथा वादी जितेन्द्र सोलंकी बरामदगी स्थल पर उपस्थित आये और बरामद माल की पहचान करते हुए उसे मृतका साधना गौड का होना बताया गया । जबकि पी०डब्लू0 1 जितेन्द्र सौलंकी व पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा द्वारा साक्ष्य के दौरान कहा गया है कि थाने से फोन द्वारा उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्तगण के गिरफ्तारी एवं बरामदगी की संभावना है ,वह लोग अताईपुर जदीद मोड़ पर पहुंचे । इस सूचना पर प्रिंयका शर्मा, प्रिया गौड एवं जितेन्द्र सोलंकी मौके पर पहुचे , जहां पर पुलिस पहले से मौजूद थी। उनके पहुचने के दो तीन मिनट बाद मुल्जिमान आये। बचाव पक्ष द्वारा फर्द एवं साक्षीगण पी०डब्लू1 व 2 के बयानो मे घटनास्थल पर पहुचने के संबंध में आये विराधोभाष के आधार पर बरामदगी के संदिग्ध होने का तर्क प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त तर्क के संबंध मे पत्रावली के परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि विवेचकगण पी०डब्लू० 3 द्रविड कुमार एवं पी०डब्लू० 6 हरिओम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क 3 को साबित करते हुए यह कथन किया गया है कि मुल्जिमानो की गिरफ्तारी की सूचना पर प्रिंयका शर्मा व प्रिया गौड व जितेन्द्र सौलंकी स्वंय बरामदगी स्थल पर आ गये थे उन्हें पुलिस द्वारा बुलाया नही गया था। तथा इसी तथ्य का उल्लेख फर्द में भी किया गया है । पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 2 द्वारा न्यायालय मे साक्ष्य के दौरान थाने से फोन करके अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी की संभावना की सूचना देते हुए अताईपुर जदीद मोड पर पहुचने के लिए कहा गया था। पी०डब्लू० 1 व 2 द्वारा स्वंय के साक्ष्य मे यह स्पष्ट कहा गया है कि जब वह मौके पर पहुचे थे तब तक अभियुक्तगण वहां पर नही आये थे। पुलिस बल वहां पर पहले से मौजूद था। उनके पहुचने के दो तीन मिनट बाद अभियुक्तगण

मोटरसाइकिल से आते हुए दिखायी दिये । पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल मोड़ने के प्रयास में मोटरसाइकिल गिर गयी तथा पुलिस बल द्वारा घेर कर उन्हें पकड लिया गया तथा अभियुक्तगण के पास से मृतका साधना गौड के घर से लूट हुए जेवरात , रुपये वाकमैन एवं शंख उनके सामने बरामद किया गया । बरामद माल की उनके द्वारा पहचान की गयी । उनके समक्ष तीनो अभियुक्तगण से बरामद माल को अलग अलग प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे मे रखकर सील मोहर किया गया तथा फर्द पर उनके हस्ताक्षर कराये गये । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि बरामदगीस्थल पर प्रिया गौड , प्रियंका शर्मा एवं वादी जितेन्द्र सोलंकी के पहुचने के संबंध में विरोधाभाष है । पी०डब्लू1 एवं2 द्वारा स्वंय के सामने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी होने का स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय में विचारण के दौरान दिया गया है । फर्द बरामदगी तथा पी०डब्लू3 व पी०डब्लू० 7 के साक्ष्यों मे आये विरोधाभाष के कारण पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 द्वारा न्यायालय में स्वंय के सामने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी , उनसे की गयी बरामदगी तथा बरामद माल की पहचान के संबंध में दिये गये साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है ।

29- बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 द्वारा थाने से फोन 10:15 बजे आना बताया गया है जबकि मुखविर द्वारा पुलिस को सूचना 10:30 बजे दिया जाना फर्द बरामदगी में अंकित है। मुखविर द्वारा सूचना दिये जाने के पूर्व ही थाने से वादी को फोन कैसे किया जा सकता है इसका स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नही दिया जा सका है । उपरोक्त तर्क के संबंध में पत्रावली का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क 3 में मुखविर द्वारा पुलिस को दिनांक 17.02.18 को रात 10:30 बजे अभियुक्तगण के संबंध मे सूचना दिया जाना अंकित है जबकि पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 2 द्वारा 10:30 बजे से पूर्व ही 10:15 बजे थाने से फोन आना स्वंय की जिरह में बताया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 का साक्ष्य घटना के काफी समय बाद अंकित किया गया है । समय व्यतीत हो जाने के कारण फोन आने का निश्चित समय पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 को याद रहना संभंव नही है तथा इसी कारण उनके द्वारा अंदाजन 10:15 बजे थाने से फोन आना स्वंय की जिरह में बताया गया है । पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 2 स्वंय के समक्ष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी होने के संबंध में विस्तृत एवं विश्वसनीय साक्ष्य न्यायालय मे दिया गया है । मात्र इस आधार पर कि पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 द्वारा जिरह में मुखविर द्वारा सूचना दिये

जाने के पूर्व ही थाने से फोन आने की बात बतायी गयी है ,अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी संदेहास्पद नही हो जाती है, विशेष रुप से तब जबकि पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 द्वारा स्वंय के विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से मौके पर अभियुक्तगण के गिरफ्तार किये जाने एवं उन से साधना गौड से लूटे गये सामान को बरामद किये जाने एवं उसकी पहचान किया जाने के तथ्य को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है ।

30- बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण से की गयी बरामदगी के दौरान वहां पर उपस्थित पुलिस पार्टी के सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहों की जामा तलाशी बरामदगी से पूर्व लिये जाने का उल्लेख न तो फर्द में किया गया है न ही किसी साक्षी द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में बरामदगी के पूर्व तलाशी लिया जाना कहा गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बरामदगी के पूर्व पुलिस पार्टी की थाने से चलने की रवानगी जीडी को साबित नही किया गया है , अभियुक्त रवि उपाध्याय से बरामद झोले को सील मोहर नही किया गया है, तीनो अभियुक्तों से संयुक्त बरामदगी दर्शायी गयी है । पी०डब्लू-3 द्वारा सभी अभियुक्तगण से बरामदगी करने के बाद एक फर्द बरामदगी बनाया जाना कहा गया है कि जबकि पी०डब्लू० 1 द्वारा सभी अभियुक्तों से की गयी बरामदगी की लिखा पढी अलग अलग किया जाना कहा गया है । उपरोक्त तर्कों के संबंध में पत्रावली का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क 2 व 3 में थाने से रवानगी की जीडी का उल्लेख किया गया है तथा पी०डब्लू03 व 6 द्वारा न्यायालय मे साक्ष्य के दौरान थाने से रवानगी करते समय रवानगी का उल्लेख जीडी में किये जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है । यह सत्य है कि उपरोक्त रवानगी जीडी को न्यायालय में साबित नही किया गया है, किन्तु फर्द बरामदगी में रवानगी जीडी का उल्लेख होने तथा इस संबंध में साक्षियों द्वारा न्यायालय मे स्पष्ट साक्ष्य दिये जाने से यह साबित होता है कि पुलिस पार्टी द्वारा बरामदगी हेतु थाने से रवाना होने से पूर्व उसका इन्द्राज जीडी में किया गया था। जीडी को न्यायालय में प्रस्तुत न किये जाने के आधार मात्र पर पुलिस पार्टी के थाने से रवानगी किये जाने के तथ्य को संदिग्ध नही माना जा सकता है । फर्द बरामदगी में बरामदगी के पूर्व पुलिस पार्टी के सदस्यों द्वारा आपस में जामा तलाशी लिये जाने का उल्लेख नही है किन्तु साक्षीगण द्वाराजिरह में मौके पर पहुचने से पहले आपस में तलाशी लिये जाने का उल्लेख किया गया है । रवि उपाध्याय के हाथ में लिये हुए झोले को सील न किये जाने के संबंध में पी०डब्लू० 3 द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि रवि उपाध्याय द्वारा झोले से माल निकाल कर पुलिस को

दिया गया था इस कारण झोले को मौके पर सील नही किया गया था। रवानगी जीडी को साबित न किया जाना , बरामदगी के पूर्व आपस में जामा तलाशी लिये जाने का फर्द में अंकन न किया जाना तथा रवि उपाध्याय के हाथ मेलिये हुए झोले को सील मोहर न किया जाना विवेचना एवं विचारण के दौरान की गयी त्रुटियों की श्रेणी में आता है किन्तु उक्त त्रुटियों का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान नही किया जा सकता है विशेष रुप से तब जबकि बरामदगी के तथ्य को न्यायालय में विचारण के दौरान साक्षियों द्वारा विश्वसनीय रुप से साबित किया गया हो। जहां तक पी०डब्लू० 1 के अनुसार तीनो अभियुक्तों से की गयी बरामदगी की फर्द को अलग अलग बनाये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में पी०डब्लू० 1 द्वारा जिरह में किये गये कथनों का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू० द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि पहले नेपाली उर्फ प्रवेश यादव, उसके बाद रवि उपाध्याय अन्त में अन्य शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला की जामा तलाशी ली गयी थी तथा उक्त के संबंध में लिखा पढी कर फर्द तैयार की गयी थी। फर्द बरामदगी प्रदर्श क 3 में अभियुक्तगण की तलाशी लिये जाने का क्रम वही अंकित है जोकि पी०डब्लू० 1 द्वारा स्वंय के साक्ष्य में बताया गया है । स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस द्वारा क्रमशः तलाशी लेने के पश्चात उसका उल्लेख एक ही फर्द में किया गया है जिसे पी०डब्लू-1 द्वारा अलग अलग लिखा पढी किये जाने कहा गया है । पी०डब्लू० 1 द्वारा लिखा पढी की प्रक्रिया का न समझते हुए अलग अलग फर्द बनाये जाने के कथन मात्र के आधार पर अभियोजन कथानक को संदिग्ध नही माना जा सकता। बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण नेपाली यादव , रवि उपाध्याय एवं शिवम के पास से अलग अलग बरामदगी की फर्द बनाये जाने के स्थान पर संयुक्त रुप से बरामदगी दर्शा कर संयुक्त फर्द बनायी गयी है, उपरोक्त आधार पर बचाव पक्ष द्वारा बरामदगी को संदेहास्पद बताया गया है। इस संबंध में पत्रावली का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में नेपाली यादव, रवि उपाध्याय एवं शिवम की गिरफ्तारी एक ही स्थान पर एक ही समय पर मृतका के दामाद एवं दो बेटियों के समक्ष की गयी तथा उनकी जामा तलाशी में उनके पास से लूटा गया माल बरामद किया गया । विवेचक द्वारा प्रत्येक अभियुक्त की फर्द अलग अलग बनायी जानी चाहिए थी, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा त्रुटि करते हुए तीनो अभियुक्तगण की फर्द एक साथ बना दी गयी। संयुक्त बरामदगी की फर्द बनाये जाना विवेचक द्वारा की गयी त्रुटि की श्रेणी में आता है तथा इस आधार पर बरामदगी को पूर्ण रूप से संदेहास्पद नही माना जा सकता है ।

31- बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध मे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मौके पर माल की तोल इलेक्ट्रानिक तराजू अथवा साधारण तराजू से किये जाने के संबंध मेसाक्षीगण के साक्ष्यों में विरोधाभाष है । इस संबंध में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू० 3 द्वारा बरामद माल का वजन साधारण तराजू से किया जाना कहा गया जबकि पी०डब्लू० 6 द्वारा इलेक्ट्रानिक तराजू से किया जाना कहा गया है ।पी०डब्लू-० 3 एवं6 द्वारा जिरह में इस संबंध मे विरोधाभाषी कथन किये गये है किन्तु उक्त विरोधाभाष ऐसी प्रकृति के नही है जिसके आधार पर अभियुक्तगण से हुई बरामदगी को पूर्ण रुप से नकार दिया जाये। बरामदगी एवं न्यायालय में हुए साक्ष्य के मध्य अधिक अन्तराल हो जाने के कारण इस प्रकरण में विरोधाभाष साक्षीगण की स्मृति धूमिल हो जाने के कारण आना स्वाभाविक है ।

32- प्रस्तुत प्रकरण में मृतका की पुत्रियों प्रिया गौड एवं प्रियंका शर्मा द्वारा अभियुक्तगण से बरामद किये गये लूटे हुए माल की शिनाख्त की गयी है । पी०डब्लू० 2 प्रियंका शर्मा द्वारा साक्ष्य के दौरान स्पष्ट कहा गया है कि उसकी मां दीपवली आदि त्यौहारो में सारे गहने निकाल कर पूजा में शामिल करती थी। तब उसके द्वारा अपनी मां के सभी गहने देखे गये थे। पी०डब्लू० 2 द्वारा यह भी कहा गया है कि उसकी मां बीच बीच में स्वंय के गहने उसे व उसकी बहन प्रिया गौड को पहने के लिए देती थी जिसकारण भी वह अपनी मां के गहने को पहचानती थी। मृतका साधना गौड के दो पुत्रियों के अतिरिक्त अन्य कोई संतान नही थी। भारतीय परिवार में मां द्वारा स्वंय के गहनों को अपने पुत्रियों को दिखाया जाना तथा उन्हें पहने के लिए दिया जाना सामान्य बात है । प्रिया गौड एवं प्रियंका शर्मा द्वारा अपनी मां के गहने को पूर्व में निश्चित रुप से देखा गया होगा तथा वह निश्चित रुप से पहचानती भी होगी। ऐसी स्थिति में मृतका से लूटे गये गहनों की पहचान उसकी पुत्रियों प्रियां गौड व प्रियंका शर्मा द्वारा अभियुक्तगण से बरामदगी के दौरान किया जाने सम्बन्ध में पी०डब्लू० 2 द्वारा न्यायालय में दिया गया साक्ष्य पूर्ण रुप से विश्वास किये जाने योग्य है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रिया गौड व प्रियूंका शर्मा से अभियुक्तगण से बरामद लूटे गये माल की शिनाख्त शिनाख्त मजिस्ट्रेट के समक्ष नही करायी जा सकी क्योकि बरामदगी के समय ही प्रिया गौड एवं प्रियंका शर्मा बरामदगी स्थल पर उपस्थित थी तथा उनके द्वारा वहीं पर बरामद अपनी मां के गहनों की पहचान की गयी थी।

33- बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विवेचक द्वारा अभियुक्तगण से मोबाइल बरामद किये जाने के बाद भी घटना के दौरान अभियुक्तगण की लोकेशन का पता

लगाये जाने हेतु सी डी आर आदि नही निकलवाया गया है । इस संबंध मे पत्रावली का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के मोबाइल बरामद किये गये थे किन्तु उक्त मोबाइल के सीडीआर के आधार पर घटना के दौरान अभियुक्तगण की लोकेशन ज्ञात किये जाने का प्रयास नही किया गया है । उपरोक्त त्रुटि विवेचना के दौरान की गयी त्रुटि की श्रेणी में आता है तथा उक्त त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को प्रदान नही किया जा सकता है ।

34- बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विवेचना के दौरान मृतका साधना गौड के पडोसी अभिषेक अग्रवाल के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड की गयी फुटेज को पुलिस द्वारा देखा गया है किन्तु उक्त तथ्य का उल्लेख जानबूझकर असली अभियुक्तगण को बचाने के उद्देश्य से केस डायरी मे नही किया गया है और न ही सीसीटीवी फुटेज की पैन ड्राइव को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है । उपरोक्त तर्क के संबंध में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पी०डब्लू० 6 हरिओम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा अपनी जिरह की पृष्ठ संख्या 14 पर यह स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा सीसीटीवी फुटैज स्वाट टीम प्रभारी संजय कुमार राय के साथ देखी गयी थी किन्तु उक्त तथ्य का उल्लेख उसके द्वारा केस डायरी मे नही किया गया है । पी०डब्लू० 6 द्वारा स्वंय की जिरह मे यह भी स्वीकार किया गया है कि दिनांक 11.02.18 से 15.02.18 तक के सीसीटीवी फुटैज अभिषेक अग्रवाल के यहां से लिये गये थे। पी०डब्लू० 3 द्वारा स्वंय की जिरह पृष्ठ संख्या 5 में यह स्वीकार किया गया है कि सीसीटीवी फुटैज स्वाट टीम प्रभारी संजय कुमार राय द्वारा देखी गयी थी, उसके द्वारा नहीं देखी गयी थी न ही पैन ड्राइव में संग्रहीत की गयी न ही विवेचना में शामिल की गयी । अभिषेक अग्रवाल पी०डब्लू० 7 द्वारा न्यायालय में यह स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 11.02.18 की फुटैज थाना कायमगंज के थानाध्यक्ष उसके यहां से ले गये थे। पी०डब्लू7 द्वारा जिरह के पृष्ठ संख्या 2 में यह स्पष्ट कहा गया है कि दिनाक 16.02.18 को थाने की पुलिस अपने टेक्निशियन के साथ उसके घर आयी थी, टेक्नीशियन द्वारा कैमरे में दर्ज रिकार्डिंग अपनी पैन ड्राइव में ली गयी थी किन्तु उसकी कोई लिखा पढी नही की गयी थी। अभियुक्त विमलेश यादव से की गयी बरामदगी की फर्द प्रदर्श क 2 में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि स्वाट टीम प्रभारी संजय कुमार राय द्वारा विवेचक द्रविड कुमार को यह बताया गया था कि अभिषेक अग्रवाल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तीन संदिग्ध व्यक्ति दिनांक 12.02.18 की शाम को मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्पलेन्डर

UP76W5054 रंग स्लेटी से घटना स्थल वाले घर से मय झोला निकलते दिखायी पडे है जिनमें से दो की शिनाख्त नेपाली उर्फ प्रवेश यादव व नेपाली उर्फ प्रवेश यादव के साढू भाई का लड़का लालू उर्फ आशीष के रुप में हुई है । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा मृतका साधना गौड के पडोसी अभिषेक अग्रवाल के घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटैज देखे गये थे तथा थाना से टैक्नीशियन बुलाकर उक्त फुटैज को पैनड्राइव में किया गया था किन्तु उक्त साक्ष्य का उल्लेख विवेचक द्वारा केस डायरी में नही किया गया है न ही सीसीटीवी फुटैज की पैन ड्राइव को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक पी०डब्लू० 3 द्रविड़ कुमार व पी०डब्लू० 6 हरिओम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा सीसीटीवी फुटैज को विवेचना में शामिल न किया जाना गंभीर लापहरवाही की श्रेणी में आता है । विवेचक द्रविड़ कुमार द्वारा विवेचना में की गयी लापरवाही तथा विवेचना के दौरान एकत्रित किये गये महत्वपूर्ण साक्ष्य को विवेचना में शामिल न किये जाने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया जाना आवश्यक है । यह सत्य है कि अभिषेक अग्रवाल के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटैज प्रस्तुत प्रकरण का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था जिसे विवेचक द्वारा एकत्रित करने के पश्चात भी न तो विवेचना में शामिल किया गया न ही न्यायालय में अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दौरान उक्त पैन ड्राइव को तलब किये जाने हेतु उचित कार्यवाही की गयी । अभिषेक अग्रवाल के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को एकत्रित करने के बाद भी विवेचना में शामिल न करना विवेचक द्वारा की गयी एक त्रुटि मात्र है तथा यदि अन्य साक्ष्यों के माध्यम से अभियोजन स्वंय के केस को साबित कर देता है तो उक्त त्रुटि मात्र के आधार पर अभियोजन के कथानक को पूर्ण रुप से नकारा नहीं जा सकता है ।

35- बचाव पक्ष द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि मृतका साधना गौड की हत्या , लूटपाट अज्ञात बदमाशो द्वारा की गयी थी, पुलिस द्वारा उन बदमाशो का पता नही लगाया जा पाया तथा उच्चाधिकारियों के दवाव में घटना का खुलासा करने की गरज से अभियुक्तगण से फर्जी बरामदगी दर्शाकर उनका चालान कर दिय़ा गया। बचाव पक्ष द्वारा दिया गया उपरोक्त तर्क पूर्ण रुप से बलहीन है क्योकि यदि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूटपाट की गयी होती तथा पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार नही किया जा पाया होता तब लूटा गया माल भी बरामद नही किया जा सकता था। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण से अत्यधिक

मात्रा में लूटे गये जेवर आदि बरामद किये गये है , जिनकी कीमत लाखों में है । बचाव पक्ष यह भी स्पष्ट नही कर सका यदि अज्ञात बदमाशो द्वारा माल लूट कर ले जाया गया तो उन से बरामद किया गया माल किसका है । किसी भी अभियुक्त द्वारा बरामद किये गये माल स्वंय का होना नही बताया गया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्तगण से फर्जी बरामदगी दिखाये जाने के संबध मे दिया गया तर्क पूर्ण रुप से बलहीन है ।

36- अभियुक्त विमलेश यादव , नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव , रवि उपाध्याय व शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला के पास से गिरफ्तारी के दौरान मृतका के यहां से लूट गया माल अत्यधिक मात्रा में बरामद किया गया है तथा उक्त माल की पहचान मृतका की पुत्रियो द्वारा की गयी है । मृतका साधना गौड के घर का नक्शा नजरी विवेचक हरिओम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दिनांक 15.02.18 को बनाया गया है । उक्त नक्शा नजरी मे मृतका के घर के अन्दर आंगन की छत पर लगा हुआ लोहे का जाल खुला हुआ होना दर्शाया गया है । साक्षियों द्वारा इस संबंध मे स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है कि नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव व उसकी पत्नी विमलेश यादव मृतका के घर के प्रथम तल पर आगे के भाग में किराये पर रहते थे। यह भी साक्ष्य में आया है कि छत पर मृतका के आंगन पर जाने हेतु लगे जाल पर नेपाली यादव द्वारा लिये गये किराये के भाग से ही जाया जा सकता है। इस संबंध मे स्पष्ट साक्ष्य आया है कि जब वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 सूचना पाकर अपनी सास के घर पहुंचा तब घर का दरवाजा अन्दर से बंद था वादी मुकदमा एवं उसकी पत्नी प्रिया गौड द्वारा नन्हें मुकेश व किराये दार विमल व उसकी पत्नी की मौजूदगी मे दरवाजे के बगल में लगी प्लास्टिक को तोड कर हाथ डालकर कुन्डी को अन्दर से खोला गया। स्पष्ट हो जाता है कि घटना कारित करने वाले बदमाश मृतका के घर के अन्दर उसके आंगन में लगे जाल को खोल कर ही आये थे तथा उसी रास्ते से घटना करने के पश्चात वापस चले गये। उक्त जाल तक पहुच नेपाली यादव के भाग से ही थी तथा उसके घर से ही जाल पर आकर नीचे मृतका के घर पर उतरा जा सकता था तथा घटना कर वहां से निकला जा सकता था।

37- प्रस्तुत प्रकरण में मृतका साधना गौड के पडोसी मोती लाल द्वारा वादी मुकदमा को सूचना दी गयी थी किन्तु विवेचक द्वारा मोतीलाल का बयान न तो विवेचना के दौरान लिया गया है न ही अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को न्यायालय में साक्ष्य के दौरान उपस्थित कर परीक्षित कराया गया है । मृतका के घर पर दूध देने वाले उमंग सिंह द्वारा

विवेचक पी०डब्लू० 6 को यह बयान दिया गया है कि दिनांक 12.02.18 को 2:30 बजे जब वह दूध दने के लिये मृतका के घर पर गया तो आवाज लगायी किन्तु अन्दर से आवाज नही आयी। गेट के अन्दर किरायेदार नेपाली खडा था उसने उसे गेट के अन्दर आने से रोक दिया है और कहा कि आंटी जी गुस्से मे है अन्दर न जाये, नेपाली द्वारा अपनी पत्नी विमलेश को बुलाकर साधना गौड का दूध ले लिया गया और कहा गया कि तुम जाओ हम दूध पहुंचा देगें। उमंग सिंह द्वारा विवेचक को दिये गये बयान की पुष्टि विवेचक पी०डब्लू० 6 हरिओम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा स्वंय की मुख्य परीक्षा में की गयी है । उमंग सिंह द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण उसे परीक्षित नही कराया गया है । सूचना देने वाले मोतीलाल तथा उंमग सिंह घटना के महत्वपूर्ण साक्षी थे किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उन्हें परीक्षित नहीं कराये जाने आधार मात्र पर अभियोजन कथानक को सिरे से नकारा नही जा सकता है विशेष रुप से तब जबकि अभियोजन की तरफ से परीक्षित कराये गये अन्य साक्षियों एवं प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों से अभियोजन कथानक साबित होता हो। मोतीलाल एवं उमंग सिंह को परीक्षित न कराया जाना अभियोजन कथानक पर विपरीत प्रभाव नहीं डालता है ।

38- बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त गण के पास से की गयी बरामदगी का उल्लेख तहरीर में नही है । वादी द्वारा लूटे गये माल के संबंध मे बाद में कोई सूची विवेचक को नही दी गयी है । बरामद माल का उल्लेख तहरीर में न होने के कारण अभियुक्तगण के पास से बरामद माल का मृतका साधना गौड के घर से लूटा हुआ माल होना साबित नही होता है । उपरोक्त तर्क के संबध में पत्रावली के परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा जितेन्द्र सोलंकी द्वारा स्वंय की तहरीर में दो दस्तरबंध , एक ब्रेसलेट , तीन गले की सोने की चैन, एक जोडी झुमकी , एक जोडी झाले , चार सोने के कडे , आठ सोने की अंगूठी , एक जोडी टाप्स , पैरो की चांदी की पायल , चार पांच लाख रुपये नकद व बैंक से संबंधित कागजात का लूटा जाना बताया गया है । वादी मुकदमा पी०डब्लू1 द्वारा स्वंय की जिरह के पृष्ठ 15 में यह स्पष्ट कहा गया है कि लूटे गये सामान के संबंध में उसने बाद में एक अन्य तहरीर/सूची विवेचक को दी थी। विवेचक पी०डब्लू3 द्वारा जिरह के पृष्ठ संख्या 11 में यह स्पष्ट कहा गया है कि उसे याद नही है कि वादी द्वारा उसे बाद में लूटे गये माल की सूची दी गयी थी अथवा नहीं। पी०डब्लू० 3 द्वारा यह भी कहा गया है कि मृतका की पुत्री प्रिया गौड द्वारा उसे बताया गया था कि उसकी बहन प्रिंयका शर्मा मुम्बई में रहती है

उससे जानकारी कर अन्य सामान के बारे में उसे बाद में नोट कराया जायेगा, किन्तु बाद में प्रिया गौड द्वारा लूटे गये अन्य सामान के बारे में उसे नही बताया गया था। पत्रावली मे तहरीर के अतिरिक्त अन्य लूटे गये सामान की सूची उपलब्ध नही है । अभियुक्तगण विमलेश, नेपाली यादव, रवि उपाध्याय एवं शिवम के पास से तहरीर में दर्शाया गये माल के अतिरिक्त अन्य माल भी बरामद हुआ है जिसकी पहचान मृतका की पुत्रियों प्रिया गौड एवं प्रिंयका शर्मा द्वारा की गयी । मृतका साधना गौड की दोनो पुत्रियों की शादी हो गयी थी एवं दोनो पुत्रियां उसके साथ नहीं रहती थी। लूटपाट के दौरान वादी एवं मृतका की पुत्रियों मौके पर मौजूद नही थी। मोतीलाल द्वारा सूचना दिये जाने पर वादी एवं मृतका की पुत्री प्रिया गौड मृतका के घर आये थे वहां पर उनके द्वारा मृतका को मृत तथा घर में लूटपाट किया जाना पाया गया। मृतका के दामाद जितेन्द्र सोलंकी द्वारा तहरीर दी गयी जिसमें लूटे गये कुछ सामान जिसकी उसे जानकारी थी का अंकन किया गया। निश्चित रुप से वादी मुकदमा अथवा मृतका की पुत्री प्रिया गौड को मृतका के घर पर रखे हुए सम्पूर्ण जेवर एवं अन्य सामान की जानकारी नही थी , जितनी जानकारी थी उसके आधार पर वादी द्वारा तहरीर में लूटे गये माल का विवरण दिया गया । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय उनके पास से तहरीर में दर्शाये गये माल के अतिरिक्त लूटा गया अन्य माल भी बरामद हुआ तथा उक्त माल की पहचान मृतका की पुत्रियों द्वारा की गयी । अभियुक्तगण यह कथानक नही है कि उनके पास जो माल बरामद हुआ था वह उनका स्वंय का था । उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण के पास से तहरीर में उल्लिखित लूटे गये माल के अतिरिक्त मृतका साधना गौड के घर से लूटा गया अन्य माल भी बरामद हुआ है। तहरीर में उल्लिखित माल के अतिरिक्त अन्य माल बरामद होना किसी भी प्रकार से अभियुक्तगण से की गयी बरामदगी को संदेहास्पद नही बनाता है, विशेष रुप से तब जबकि बरामद किये गये माल की पहचान मृतका की पुत्रियों द्वारा करते हुए उसे अपनी मां का होने के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया हो।

39- अभियुक्त शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पृथक रुप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला को उसकी पत्नी के साथ हरिद्वार से उठाकर लाया गया तथा प्रस्तुत प्रकरण में झूठी गिरफ्तारी व बरामदगी दर्शाकर उसका चालान कर दिया गया। शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला की तरफ से स्वंय की पत्नी अलीशा को डी०डब्लू-1 के रुप में परीक्षित कराया गया है । डी०डब्लू1 द्वारा

न्यायालय में विस्तृत साक्ष्य देते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 16.02.18 को उसे व उसके पति को फतेहगढ की पुलिस द्वारा हरिद्वार में स्थित उसके घर से उठा कर फतेहगढ लाया गया वहां पर उसे पुलिस लाइन में रखा गया तथा बाद में दिनांक 17.02.18 को उसके पति की फर्जी गिरफ्तारी एवं बरामदगी दर्शाकर उसका चालान कर दिया गया है। डी०डब्लू1 अलीशा द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पुलिस द्वारा उसे हरिद्वारा से फतेहगढ तक लाने के दौरान जगह जगह रुकने, बीच में दवा आदि खरीदने आदि का विस्तृत उल्लेख किया गया है किन्तु बचाव साक्ष्य के दौरान स्वंय के कथानक के पुष्टि हेतु किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्यों को न्यायालय में पेश नही किया गया है । बाद में बहस के दौरान घटना के काफी दिनो के पश्चात पुलिस अधीक्षक फतेहगढ , क्षेत्राधिकारी नगर जनपद फतेहगढ द्वारा जारी किये गये पत्र तथा स्वयं द्वारा सांसद श्री राजबब्बर एवं मुख्य मंत्री को भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्र की फोटो प्रतियां दाखिल की गयी । बचाव साक्ष्य के स्तर पर उक्त दस्तावेजो को दाखिल न किये जाने के कारण तथा बहस के स्तर भी दस्तावेजो की फोटो प्रतियां प्रस्तुत किये जाने के कारण उपरोक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला के पास से गिरफ्तारी के दौरान मृतका साधना गौड के घर से लूटा गया माल बरामद किया गया है ऐसे में उसकी पत्नी द्वारा उसको झूठा फसाये जाने के संबंध में न्यायालय में दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय प्रकृति का नहीं है ।

40- अभियोजन का कथानक है कि नेपाली यादव एवं उसकी पत्नी विमलेश द्वारा योजना के तहत अन्य सहअभियुक्तगण के साथ षड़यंत्र कर डकैती एवं हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है । प्रस्तुत प्रकरण मे साक्ष्य के दौरान ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नही लाया गया कि डकैती की योजना किस स्थान पर, किस समय बनायी गयी थी तथा उक्त योजना बनाने के समय कौन कौन उपस्थित था। डकैती की योजना को बनाये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अभियुक्तगण को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 120B भा०द०स० के अपराध हेतु दोष मुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

41- अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशु यादव न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है न ही उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है न ही उसके पास से लूटे गये माल की बरामदगी की गयी है । फर्द बरामदगी प्रदर्श क 2 में इस तथ्य का उल्लेख है कि अभिषेक अग्रवाल के घर पर लगे सीसीटीवी फुटैज में दिनांक 12.02.18 की

शाम को लालू उर्फ आशीष यादव को नेपाली व एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से निकलते हुए स्वाट टीम प्रभारी संजय कुमार राय द्वारा देखा गया है। अभियोजन द्वारा संजय राय को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नही किया गया है न ही उक्त सीसीटीवी फुटैज से संग्रहित की गयी पैन ड्राइव को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में फर्द बरामदगी प्रदर्श क 2 में अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव को मृतका के घर से निकलते हुए देखे जाने का उल्लेख होने मात्र से अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव की संलिप्तता साबित नही होती है । अभियोजन लालू उर्फ आशीष के विरूद्ध आरोपित आरोपो को साबित करने में पूर्ण रुप से साबित करने मे असफल रहा है जिस कारण अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव को दोषमुक्त किय जाना न्यायोचित होगा।

42- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बचाव पक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये बचाव साक्षी के साक्ष्य का समग्र अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण विमलेश ,नेपाली यादव , रवि उपाध्याय व शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला , के पास से उनकी गिरफ्तारी के समय मृतका साधना गौड के घर से लूटा गया रुपया , जेवरात अत्यधिक मात्रा में बरामद किये गये है । अभियोजन उपरोक्त अभियुक्तगण से की गयी बरामदगी को पूर्ण रुप से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है । मृतका के घर पर उसके आंगन पर लगे लोहे के जाल में लगे गेट को उठाकर घुसा गया है तथा घटना कारित कर उसी लोहे के गेट से वापस आया गया है । मृतका के आंगन में लगे लोहे के जाल तक पहुंच अभियुक्त विमलेश एवं नेपाली यादव के किराये वाले भाग से ही थी। अभियुक्त विमलेश के पास उसके घर से मृतका के मुंह में लगे हुए टेप का शेष भाग बरामद किया गया है । उपरोक्त समस्त विश्लेषण के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन परिस्थितिजन साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तगण विमलेश यादव , नेपाली यादव , रवि उपध्याय एवं शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला द्वारा मृतका साधना गौड के घर पर उसके आंगन में लगे जाल से घुस कर लूट पाट किये जाने , लूट पाट के दौरान मृतका साधना गौड की हत्या किये जाने तथा बाद में अभियुक्तगण के पास से मृतका के घर से लूटे गये जेवर एवं नगद का अत्यधिक मात्रा में बरामद किया जाना युक्ति संदेह से परे साबित किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में लालू उर्फ आशीष यादव की घटना में संलिप्तता अभियोजन साबित नही कर सका है जिस कारण अपराध करने वाले अभियुक्तगण संख्या मात्र चार है । पांच अभियुक्तगण द्वारा डकैती के

दौरान हत्या किये जाने तथा बाद में उनके पास से डकैती का माल बरामद होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा०द०स०की धारा 396, 412 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया था। डकैती के अपराध हेतु कम से कम पांच व्यक्तियों का शामिल होना आवश्यक है प्रस्तुत प्रकरण में पांच व्यक्तियों का लूट पाट एवं हत्या के अपराध मे शामिल होना नही पाये जाने के कारण अभियुक्तगण को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 396, 412 IPC हेतु दोषसिद्ध नही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में यह साबित होता है कि चार अभियुक्तगण द्वारा लूट पाट के दौरान मृतका साधना गौड की हत्या की गयी है तथा बाद में उनके पास से मृतका साधना गौड के घर से लूटा गया सामान बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 394, 411 IPC का अपराध साबित होने के कारण उन्हें उपरोक्त अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित होगा। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपो में लूटपाट किये जाना लूट पाट के दौरान मृतका साधना गौड की हत्या किये जाना एवं बाद में अभियुक्तगण के पास से लूटे गये सामान की बरामदगी के तथ्य पूर्ण रुप से शामिल है किन्तु अभियुक्तगण की संख्या5 से कम होने के कारण तकनीकि आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा396,412 IPC हेतु दोषसिद्ध किये जाने के स्थान पर उनके द्वारा कारित अपराध अन्तर्गत धारा302,394,411 IPC हेतु दोष सिद्ध किया जाना न्यायोचित होगा। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप में भा०द०स० की धारा 302,394,411 के तत्व समाहित थे तथा अभियुक्तगण को उसकी पूर्ण जानकारी थी। धारा302,394 एवं 411 भा०द०स०का आरोप विरचित न होने से अभियुक्तगण के हित किसी भी प्रकार से प्रतिकूल रुप से प्रभावित नहीं होते है।

आदेश

43– विशेष सत्र परीक्षण सं० 55/2018, मु०अ०स० 126/2018 में अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव, रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 396, 120B, 412 भा०द० सं० थाना– कायमगंज के मामलें में दोषमुक्त किया गया एवं अभियुक्तगण विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव, रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302, 394, 411 भा०द० सं०हेतु दोष सिद्ध किया जाता है।

न्यायालय द्वारा विशेष सत्र परीक्षण सं० 107/2019, मु०अ०स० 126/2018 में अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशू यादव को आरोपित अपराध

अन्तर्गत धारा 396,120B,412 भा०द० सं० थाना– कायमगंज के मामलें में दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त जमानत पर है। उनका जमानत नामा एवं बन्ध पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया गया है। अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशू यादव को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437A द०प्र०स० का अनुपालन एक सप्ताह में करें।

अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव , नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव , रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला जमानत पर है। उनके जमानत नामे एवं बन्ध पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया गया है। अभियुक्त श्रीमती विमलेश यादव , नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव , रवि उपाध्याय, शिवम उर्फ अनुपम शुक्लाआज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, उसको अविलम्ब न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए । पत्रावली दण्ड के पश्न पर सुनवाई हेतु दिनांक 17–06–2026 को पेश हो।

दिनांक– 15.06.2026

(शैलेन्द्र सचान)
तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,
फर्रूखाबाद।
J.O.Code–UP2406

17–06–2026

44– पत्रावली आज दण्ड के पश्न पर सुनवायी हेतु पेश हुयी। अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव, रवि उपाध्याय व शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला जिला कारागार से उपस्थित आये

45– दोषसिद्ध अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सजा के बिन्दु पर कथन किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव व नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव आपस में पति व पत्नी है उनके एक छोटी बेटी है उनके अतिरिक्त उनकी बेटी का पालन करने वाला कोई भी सदस्य नही है, अभियुक्त नेपाली की तरफ से स्वंय के लकवाग्रस्त होने के चिकित्सीय प्रपत्र भी दाखिल किये गये । अभियुक्त शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला की तरफ से कथन किया गया है कि वह व उसकी पत्नी मायके व ससुराल से अलग रहते है वह ही घऱ में केवल कमाने वाला सदस्य है । उसकी पत्नी उसके ऊपर पूर्ण रुप से निर्भर है । दोषसिद्ध अभियुक्त रवि उपाध्याय की तरफ से कथन किया गया है कि वह अपने घर का केवल एक मात्र कमाने वाला सदस्य है । उपरोक्त कथनों के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण की तरफ से कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है ।

46– अभियोजन की तरफ से सजा के बिन्दु पर कथन किया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा एक अकेली रह रही वृद्ध महिला की हत्या कर लूटपाट की गयी है एवं अभियुक्तगण के पास से अत्यधिक मात्रा में जेवरात एवं नगद बरामद हुआ है । दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

47– दोषसिद्ध अभियुक्त एवं अभियोजन द्वारा सजा के बिन्दु पर दिए गए तर्को को सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि प्रस्तुत प्रकरण में दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा एक वृद्ध महिला की हत्या कर उसके घर से अत्यधिक मात्रा में जेवरात एवं नगदी लूटी गयी है, जोकि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के समय उनसे बरामद हुई है । प्रस्तुत प्रकरण के दोषसिद्ध अभियुक्तगण को हत्या , लूटपाट एवं लूटे हुए माल को यह

जानते हुए कि यह लूट का माल है स्वंय के पास रखने के लिये दोषसिद्ध किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण विरलतम से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है । अतः अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव, रवि उपाध्याय व शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला प्रत्येक को भा०द०स० की धारा 302 के अपराध हेतु आजीवन कारावास, मु० 50000/– 50000/–रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण को भा०द०स० की धारा 394 के अपराध हेतु 10 वर्ष का कठोर करावास ,मु० 25000/– 25000/–रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास एवं प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण को भा०द०स० की धारा 411 के अपराध हेतु 03 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

48– विशेष सत्र परीक्षण सं०–55/2018, अ०स०– 126/2018 थाना–कायमगंज में अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव, रवि उपाध्याय व शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 396,120B,412 भा०द० सं०के मामलें में दोषमुक्त किया जाता है तथा दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध धारा 302,394,411 भा०द० सं० के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है एवं विशेष सत्र परीक्षण सं० 107/2019, मु०अ०स० 126/2018 में अभियुक्त लालू उर्फ आशीष यादव उर्फ आशू यादव को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 396,120B,412 भा०द० सं० थाना– कायमगंज के मामलें में दोषमुक्त किया जाता है ।

49– दोषसिद्ध अभियुक्तगण श्रीमती विमलेश यादव, नेपाली यादव उर्फ प्रवेश यादव, रवि उपाध्याय व शिवम उर्फ अनुपम शुक्ला प्रत्येक को भा०द०स० की धारा 302 के अपराध हेतु आजीवन कारावास, मु० 50000/– 50000/–रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास , प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण को भा०द०स० की धारा 394 के अपराध हेतु 10 वर्ष का कठोर करावास ,मु० 25000/– 25000/–रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 माह का

अतिरिक्त कारावास एवं प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण को भा०द०स० की धारा 411 के अपराध हेतु 03 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

50– दोषसिद्ध अभियुक्तगण की सभी सजाए साथ साथ चलेगी एवं दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि उक्त में समायोजित की जायेगी । दोषसिद्ध अभियुक्तगण का सजायावी वांरट बनाकर जिला कारागार भेजा जाए। जेल अधीक्षक फर्रूखाबाद, अभियुक्त पर आदेश का अनुपालन करें। निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी फर्रूखाबाद एवं जेल अधीक्षक फर्रूखाबाद को भी प्रेषित की जाए। निर्णय की एक–एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए।

51– प्रस्तुत प्रकरण के विवेचकगण पी०डब्लू० 3 द्रविड़ कुमार एवं पी०डब्लू० 6 हरिओम प्रकाश त्रिपाठी के द्वारा मृतका के घर के सामने से अभिषेक अग्रवाल के घर पर घटना के समय लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज एकत्रित की गयी थी किन्तु उक्त फुटेज को न तो विवेचना में शामिल किया गया न ही फुटेज को पेनड्राइव में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। सीसीटीवी फुटेज एक महत्वपूर्ण साक्ष्य था जिसे विवेचकगण द्वारा एकत्रित करने के बाद भी विवचना में शामिल नहीं किया जाना घोर लापरवाही दर्शाता है । प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक पी०डब्लू० 3 द्रविड़ कुमार एवं पी०डब्लू० 6 हरिओम प्रकाश त्रिपाठी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी को आदेशित किया जाना आवश्यक है । इस आदेश की एक प्रति जिला अधिकारी फर्रूखाबाद को विवेचक द्रविड़ कुमार एवं हरिओम प्रकाश त्रिपाठी के द्वारा विवेचना में की गयी लापरवाही के संबंध में जांच कर उचित कार्यवाही करने हेतु प्रेषित हो।

दिनांकः–17.06.2026

(शैलेन्द्र सचान)

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,

तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश

फर्रूखाबाद।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः–17.06.2026

(शैलेन्द्र सचान)

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,

तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश

फर्रूखाबाद।